

कम	विषय	पृष्ठ			
संख्या		C			
1.	पृष्ठभूमि एवं परिचय	1			
2.	योजना विभाग–स्टाफ स्थिति	1-2			
3.	संगठनात्मक ढांचा	2			
3.1.	राज्य योजना बोर्ड	2-4			
3.2.	मुख्यालय	4			
	(1) प्रशासन प्रभाग	4-5			
	(II) योजना प्रारूपण प्रभाग	5-6			
	(III) योजना कार्यान्वयन	6-8			
	(IV) पिछड़ा क्षेत्र उप–योजना	8-9			
	(V) क्षेत्रीय एवं जिला नियोजन प्रभाग	9-15			
	(VI) जन शक्ति एवं रोजगार प्रभाग	15			
	(VII) बाह्य सहायता परियोजना/ नवाचार प्रभाग	15-20			
	(VIII) कौशल विकास प्रभाग	21			
	(IX) नाबार्ड–ग्रामीण आधारभूत संरचना निधि 21-25 प्रभाग				
	(X) २०-सूत्रीय कार्यक्रम प्रभाग	25-26			
	(XI) रेलवे प्रभाग	26-28			
	(XII) मूल्यांकन प्रभाग	28			
	(XIII) विधायक प्राथमिकता योजना प्रभाग	28-29			
	(XIV) कम्प्यूटर प्रभाग	29-30			
3.3.	जिला कार्यालय	30			
4.	सूचना का अधिकार नियम २००५	31-38			

विषय सूची

1. पृष्ठभूमि एवं परिचय

योजना विभाग का दायित्व योजना प्राथमिकताओं एवं सकल योजना परिव्यय को निर्धारित करना, विभिन्न घटकों / सेवाओं के लिए धनराशि चिन्हांकित करना तथा पंचवर्षीय और वार्षिक योजनाओं को तैयार करना है। इसके अतिरिक्त योजनाओं/परियोजनाओं का मूल्यांकन एवं अध्ययन करना, विकेन्द्रीकृत नीति को बढ़ावा देना, योजना स्कीमों की नियमित समीक्षा, बाह्य-सहायता प्राप्त परियोजनाओं का विशलेषण और नाबार्ड से निधि प्राप्त आर.आई.डी.एफ. योजनाओं का कार्यान्वयन आदि कार्य योजना विभाग द्वारा किये जा रहे हैं । योजना विभाग द्वारा जन-शक्ति एवं रोजगार सृजन, पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना, 20-सूत्रीय कार्यक्रम समीक्षा, प्रदेश में रेल विस्तार, इत्यादि का कार्य भी किया जा रहा है ।

व्ह0	117 211	स्वीकृत	भरे गए	रिक्त
ਦਾਂ 0	पद नाम	पद	पद	पद
1.	2.	3.	4.	5.
1.	अध्यक्ष, रोजगार सृजन एवं संसाधन	1	1	0
2.	अध्यक्ष, २०-सूत्रीय कार्यकम	1	1	0
3.	उपाध्यक्ष, राज्य योजना बोर्ड	1	1	0
4.	सलाहकार (योजना)	1	1	0
5.	संयुक्त निदेशक	1	1	0
6.	उप–निदेशक	6	5	1
7.	अनुसंधान अधिकारी/जिला योजना अधिकारी	21	20	1
8.	साख योजना अधिकारी	10	10	0
9.	सहायक अनुसंधान अधिकारी	17	15	2
10.	सांख्यिकीय सहायक	21	10	11
11.	गणक	6	4	2
12.	सिस्टम ऐनालिस्ट	1	1	0
13.	प्रोग्रामर	1	1	0
14.	कार्यकम योजना अधिकारी	1	1	0
15	गणक संचालक	1	0	1
16.	निजि सचिव	1	1	0
17.	निजि सहायक	2	1	1
18.	वरिष्ठ आशुलिपिक	1	1	0
19.	कनिष्ठ आशुलिपिक	6	6	0
20.	आशुटंकक	3	3	0

2. योजना विभाग-स्टाफ स्थिति

1.	2.	3.	4.	5.
21.	कनिष्ठ कार्यालय सहायक	11	11	0
22.	अधीक्षक श्रेणी–।	1	1	0
23.	अधीक्षक श्रेणी–।।	2	2	0
24.	वरिष्ठ सहायक	16	15	1
25.	कनिष्ठ सहायक	1	1	0
26.	लिपिक	13	11	2
27.	प्रतिलिपि यन्त्र चालक	1	1	0
28.	चालक	5	5	0
29.	चपड़ासी	20	17	3
30.	चौकीदार	1	0	1
31.	फाश	1	1	0
32.	जमादार	1	1	0
33.	सफाई कर्मचारी	1	1	0
	कुल	177	151	26

* ः राज्य योजना बोर्ड तथा २०–सूत्रीय कार्यक्रम के उपाध्यक्षों के वेतन व भत्तों के बारे में सरकार द्वारा उनके मनोनीत होने के समय पर निर्णय लिया जाता है ।

संगठनात्मक ढांचा

योजना विभाग के संगठनात्मक ढांचे का विववरण निम्न है:-

- 1. राज्य योजना बोर्ड ।
- २. मुख्यालय
- 3. जिला कार्यालय ।

3.1. राज्य योजना बोर्डः

सरकारी एवं गैर-सरकारी सदस्यों को मनोनीत करके राज्य योजना बोर्ड का गठन प्रदेश सरकार द्वारा 12 फरवरी, 2013 को किया गया ।

I. राज्य योजना बोर्ड की संरचनाः

(i) अध्यक्ष–माननीय मुख्यमन्त्री

(ii) गैर-सरकारी सदस्य

- 1. समस्त केबिनेट मंत्री, हिमाचल प्रदेश ।
- हिमाचल प्रदेश से सम्बन्धित समस्त सांसद (लोक सभा एवं राज्य सभा)
 अलग से अधिसूचित ।
- किसान, उद्योग एवं व्यापार, अनुसूचित जाति,जन–जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के एक–एक प्रतिनिधि – अलग से अधिसूचित ।
- 4. भूतपूर्व सांसद/विधायक एवं वर्तमान विधायक अलग से अधिसूचित ।
- 5. सेंवॉनिवृत मुख्य सचिव/सरकारी अधिकारी–अलग से अधिसूचित i

(iii) सरकारी सदस्य

- 1. मुख्य सचिव
- 2. समस्त प्रशासनिक सचिव
- 3. हिमाचल प्रदेश में समस्त सरकारी विश्वविद्यालयों के उप-कुलपति
- (iv) पदेन सदस्य (Ex Officio)
 1. अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स एवं इंडस्ट्रीज
 2. सी.जी.एम. नाबार्ड, शिमला

(v) सदस्य सचिव : सलाहकार (योजना)

II. नियुक्ति की शर्तेः सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाती हैं ।

III. योजना बोर्ड मुख्यालयः योजना बोर्ड का मुख्यालय शिमला है परन्तु इसकी बैठकें किसी भी स्थान पर अध्यक्ष की अनुमति से की जा सकती हैं।

- IV. योजना बोर्ड के कार्यः
- राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप प्रदेश की योजना प्राथमिकताओं का निर्धारण ।
- वित्तीय संसाधनों एवं जन-शक्ति की संगठनात्मक एवं संस्थापक योग्यताओं का आकलन ।
- प्रदेश में महत्वपूर्ण सैक्टर, जिलों, क्षेत्रों इत्यादि में विकास का आकलन ।
- प्रदेश के सीमित संसाधनों के इष्टतम् उपयोग हेतु योजना तैयार करना, राज्य सरकार की वार्षिक एवं पंचवर्षीय योजनाओं को तैयार करने में सहायता करना तथा विभिन्न क्षेत्रों में विकास आकलन करना ताकि राज्य के सामाजिक, आर्थिक विकास की अधिकतम सीमा प्राप्त की जा सके ।
- राज्य के सामाजिक एवं आर्थिक विकास में आने वाली बाधाओं कारणों की पहचान तथा राज्य की योजनाओं का सफलतापूर्वक कार्यान्वयन का निर्धारण ।
- प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में विद्यमान विकासात्मक असंतुलनों को दूर करने के लिए नीति निर्धारण तथा जिला एवं क्षेत्रीय योजनाओं के प्रारूपीकरण में सहायता करना ।
- योजना कार्यान्वयन की सामयिक समीक्षा तथा प्रदेश की नीति एवं कार्यक्रमों में सुधार के सुझाव ।
- चालू कार्यकर्मो की विवेचनात्मक समीक्षा तथा कार्यकर्मो के निरन्तरीकरण का सुझाव।
- बेराजगारी की समस्या के निदान के सम्बन्ध में राज्य सरकार को सलाह देना ।

- सरकार द्वारा बोर्ड को प्रेषित आर्थिक विकास के मामलों पर सलाह देना ।
- वर्तमान आर्थिक स्थिति एवं नीतियों का विशलेषण करना और प्रदेश के विकास के लिए विकासात्मक कार्यक्रमों के उपयुक्त कार्यान्वयन एवं सुधार के सम्बन्ध में उचित सुझाव देना ।
- योजना कार्यक्रमों से सम्बन्धित सूचना का एकत्रीकरण एवं विशलेषण करना ।
- सरकारी निगमों एवं बोर्डों की कार्य प्रणाली का परीक्षण तथा उनमें सुधार लाने के सुझाव देना ।
- जिला स्तर पर योजना स्कीमों के कार्यान्वयन में आने वाली कठिनाईयों का पता लगाना तथा इन कठिनाईयों के निराकरण एवं समाधान के उपाय सुझाना ।
- अध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार विभिन्न कार्यक्रमों एवं निगमों का मूल्यांकन करना ।

वर्ष २०१७–१८ के लिए मु० ५७००.०० करोड़ रू० के योजना आकार को अनुमोदित किया गया था।

3.2. मुख्यालयः

सरकारी नियमावली के अनुसार सरकारी कार्यो के निष्पादन हेतु योजना विभाग निम्नलिखित ढांचे के अनुसार कार्य कर रहा है :–

1.	सम्बन्धित मंत्री	माननीय मुख्य मन्त्री, हिमाचल प्रदेश शिमला–२.
2.	प्रशासनिक सचिव	अतिरिक्त मुख्य सचिव (योजना) हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला–२.
3.	विभागाध्यक्ष	सलाहकार (योजना) हिमाचल प्रदेश, शिमला−२

सलाहकार (योजना), विभागाध्यक्ष हैं । योजना विभाग में विभिन्न प्रभाग जैसे कि योजना प्रारूपण, परियोजना प्रारूपण, योजना कार्यन्वयन, कम्पयूटरीकरण, मूल्यांकन, जनशक्ति एवं रोजगार, प्रशासन, क्षेत्रीय एवं जिला नियोजन, पिछड़ा क्षेत्र उप–योजना, रेलवे, 20–सूत्रीय कार्यक्रम तथा आर.आई.डी.एफ. कार्य कर रहे हैं । ये प्रभाग संयुक्त निदेशक/ उप–निदेशकों के नियन्त्रण में कार्य कर रहे हैं । संयुक्त निदेशक सलाहकार (योजना) के नियंत्रण में कार्य करते हैं तथा कार्य निष्पादन के लिए सलाहकार (योजना) का सहयोग करते हैं । संयुक्त निदेशक कार्यालय अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे हैं । प्रभागानुसार उद्देश्य, कार्यक्रम, आबंटन, व्यय का विवरण निम्न प्रकार से हैः–

I. प्रशासन प्रभाग ः

संयुक्त निदेशक, (योजना) को विभाग में कार्यालय अध्यक्ष घोषित किया गया हैं । प्रशासन प्रभाग संयुक्त निदेशक की अध्यक्षता में कार्य करता है ।

यह प्रभाग योजना विभाग की प्रशासनिक जरूरतों के अनुसार कार्य करता है । प्रभाग के मुख्य कार्य जैसे कि रिक्त पदों का भरना, पदोन्नति, स्थानांतरण, अधिकारियों / कर्मचारियों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट, स्थाईकरण, भण्डार, स्थापना, बजट, लेखा आपत्ति, पीएसी, सीएजी, व अन्य विविध कार्य जो प्रभाग को सौंपे गए हैं, किये जा रहे हैं। वर्ष के दौरान प्रभाग द्वारा उपरोक्त वर्णित कार्य निष्पादित किए गए हैं ।

II. योजना प्रारूपण प्रभाग

1. राज्य की वार्षिक योजना (2018-19) का प्रारूपीकरण :

राज्य सूचना केन्द्र (एनआईसी) द्वारा वार्षिक योजना प्रस्तावो को मंगवाने हेतू सितम्बर,२०१७ में एक ऑनलाईन साफटवेयर तैयार किया गया तथा सभी विभागों से ऑनलाईन योजना प्रस्ताव मंगवाए गए

वार्षिक योजना (२०१८-१९) के प्रारूपीकरण हेतु अतिरिक्त मुख्य सचिव (योजना) की अध्यक्षता में सभी सम्बन्धित विभागों के साथ योजना प्राथमिकताओं के निर्धारण हेतु चर्चा के लिए नवम्बर–दिसम्बर, 2017 में श्रृंखलावार बैठकों का आयोजन किया गया ।

विस्तृत विचार विर्मश के उपरान्त वार्षिक योजना (2018–2019) का योजना आकार तैयार किया गया तथा सभी विभागों को योजना परिव्यय विशिष्ट चिन्हाकित के साथ स्कीमवार बजट तैयार करने के लिए ऑनलाईन जारी किए गए । विभागों द्वारा स्कीमवार तैयार किए गए योजना प्रस्तावों की जाँच पड़ताल की गई तथा उन्हे वित विभाग को वार्षिक बजट (2018–19) में अनुदान मॉंगों में सम्मिलित करने हेतू ऑनलाईन प्रेषित किया गया ।

वार्षिक योजना (2018–2019) का आकार 6300 करोड़ रूपये प्रस्तावित कर ड्रॉफट प्रारूप तैयार करके राज्य योजना बोर्ड की दिनांक 21 फरवरी,2018 को हुई बैठक में अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया गया जिसे राज्य विधानसभा द्वारा भी पारित कर दिया गया । सैक्टरवार विवरण निम्न प्रकार से हैं :-

(क् क् जोर्टों में)

		(रू०कराड़ा म)	
कम	सैक्टर	वार्षिक	योजना
संख्या		(२०१८-१९) का	प्रस्तावित
		परिव्यय	
1.	2.	3.	
1.	कृषि एवं सम्बन्धित सेवाएं	843.88	
2.	ग्रामीण विकास	127.92	
3.	विशेष क्षेत्र कार्यकम	27.78	
4.	सिंचाई एवं बाढ़ नियन्त्रण	430.85	
5.	ऊर्जा	682.70	
6.	उद्योग एवं खनन	113.76	
7.	संचार एवं पीरवहन	1094.89	
8.	विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण	16.89	
9.	सामान्य आर्थिक सेवाएं	284.97	
10.	सामाजिक सेवाएं	2548.66	
11.	सामान्य सेवाएं	127.70	
	कु ल	6300.00	
	୍ୟୁମ	0300.00	

2. राज्य योजना बोर्ड : राज्य योजना बोर्ड का पुनर्गठन किया गया तथा दिनांक २१ फरवरी,२०१८ को माननीय मुख्यमन्त्री की अध्यक्षता में प्रदेश की वार्षिक योजना (२०१८–१९) को अनुमोदित करने हेतू बैठक का आयोजन किया गया ।

III. योजना कार्यान्वयन प्रभागः

विधान सभा में बजट पारित होने के उपरान्त, योजना बजट का कार्यान्वयन निम्न ढंग से शुरू होता है:–

 यह प्रभाग विभिन्न विभागों से प्राप्त विचलन और पुनर्विनियोजन प्रस्तावों का विस्तृत परीक्षण करता है। आवश्यकता व प्राथमिकता को मद्देनजर रखते हुए ही विचलन या पुनर्विनियोजन की अनुमति दी जाती है।

2. आधिक्य प्रस्तावों को किसी अन्य मद जिसमें व्यय की संभावनायें कम हों या कोई परियोजना जिसकी चालू वर्ष में क्रियान्वयन की संभावना न हो तथा सरकार की प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुये उसमें से कटौती करके पूरा किया जाता है।

 आधिक्य प्रस्तावों को तत्काल निपटाने के लिये विभागों के साथ बैठकें भी आयोजित की जाती हैं।

4. इस अवधि में सभी सम्बन्धित विभागों से उनके प्रशासनिक विभागों के माध्यम से पुनर्विनियोजन के प्रस्ताव चिन्हांकित व गैर चिन्हांकित मदों में जांच और परीक्षण के लिये आमंत्रित किये गए।

5. इस अवधि में 549 मामले विभिन्न विभागों से प्रशासनिक विभागों के माध्यम से परामर्श हेतु योजना कार्यान्वयन प्रभाग में प्राप्त हुए, इनका परीक्षण किया गया तथा सक्षम प्राधिकारियों के पूर्व अनुमोदनोपरान्त उचित परामर्श सम्बन्धित विभागों को दिया गया।

6. बजट के अनुरूप योजना कार्यान्वयन निर्विध्न करने के लिये सम्पूर्ण वार्षिक योजना को सॉफ्टवेयर के माध्यम से बजट से जोड़ा गया है।

उपरोक्त के अतिरिक्त, योजना कार्यान्वयन प्रभाग द्वारा इस अवधि के दौरान निम्न गतिविधियां भी की गई :-

1. त्रैमासिक बजट आबंटन

वर्ष २०१७–१८ में सामान्य योजना परिव्यय के अन्तर्गत सभी विभागों को त्रैमासिक बजट प्राधिकृत किया गया तथा वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धियों को एकत्रित व समेकित किया गया।

योजना व्यय के लिये निम्न मापदंडों को निर्धारित किया गया है :-

तिमाही	योजना व्यय (%)
प्रथम	20%
द्वितीय	25%
तृतीय	30%
चतुर्थ	25%
योग	100%

2. बजट आश्वासन

इस प्रभाग द्वारा वर्ष २०१७–१८ के बजट भाषण में दिये गए बजट आश्वासनों की प्रगति की समीक्षा की गई। सभी कार्यान्वयन विभागों से सूचना एकत्रित व समेकित की गई।

3. भारत सरकार के साथ लम्बित मामले

'भारत सरकार के साथ लम्बित मामले' आवश्यक मुद्दों/मामलों का संकलन है जो भारत सरकार के साथ लम्बित पड़े हैं। केबिनेट सचिवालय द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर पर प्रमुख मामलों को अपलोड़ किया गया है जिनकी ई–समीक्षा के माध्यम से निरन्तर समीक्षा की जा रही है।

केन्द्रीय प्रायोजित योजनार्ये

केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों का प्रदेश की आर्थिकी में विशेष स्थान है क्योंकि यह प्रदेश के स्त्रोतों का अनुपूरण करती हैं। वर्तमान में केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें या तो शत प्रतिशत या केन्द्र और राज्य में विभिन्न अनुपातों में चल रही हैं। इस प्रभाग ने कार्यान्वयन विभागों को केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के वित्तीय निहितार्थ और समकक्ष योजना में राज्य प्रावधानों पर परामर्श दिये हैं।

5. एच०डी०बी०आई० परियोजना

स्वतन्त्र एजैन्सियों द्वारा एच.डी.बी.आई. परियोजना की कार्य योजना के अन्तर्गत निम्नानुसार चार अध्ययनों पर कार्य किया गयाः–

- 1. हिमाचल प्रदेश में हरित विकास एवं समावेश हेतु मानव विकास अध्ययन।
- 2. 0-6 वर्ष आयु समूह के गिरते लिंग अनुपात के कारणों पर अध्ययन।
- 3. हिमाचल प्रदेश में मानव विकास पर वित्तीय रिपोर्ट कार्ड ।
- हिमाचल प्रदेश में गुज्जरों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति के आकलन हेत्र अध्ययन।

उपरोक्त चार अध्ययनों में दो अध्ययनों का कार्य पूर्ण करके रिपोर्ट प्रकाशित की जा चुकी है जिनका विवरण निम्न प्रकार से है:–

 0-6 वर्ष आयु समूह के गिरते लिंग अनुपात के कारणों पर अध्य्यन।
 हिमाचल प्रदेश में गुज्जरों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति के आकलन हेतु अध्य्यन। इसके अतिरिक्त शेष बचे दो अध्य्यनों का कार्य भी अन्तिम चरण में है तथा अध्य्यन रिपोर्ट शीघ्र ही प्रकाशित कर दी जाएगी। ये अध्य्यन निम्न है:–

 हिमाचल प्रदेश में समावेशी एवं सतत् हरित विकास के लिये मानव विकास का आकलन।

2. हिमाचल प्रदेश में मानव विकास पर वित्तीय रिपोर्ट कार्ड ।

IV. पिछड़ा क्षेत्र उप–योजना प्रभागः

प्रदेश सरकार द्वारा क्षेत्रीय विषमताओं की पहचान एवं उनको दूर करने के लिए पिछड़ा क्षेत्र उप योजना शुरू की गई है । प्रदेश सरकार द्वारा पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए एक व्यापक नीति 1995–96 से हिमाचल प्रदेश में कार्यान्वित की जा रही है। पिछड़ा क्षेत्र उप–योजना से सम्बन्धित नीति में सरकार के निर्णयानुसार समय–समय पर आवश्यक संशोधन किए जाते हैं । नीति की मुख्य विशेषताए निम्न प्रकार से हैं:–

(क) पिछड़ा क्षेत्र उप योजना में पिछड़ा घोषित क्षेत्रों को निम्न तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:-

(i) पिछड़े घोषित विकास खण्ड : ऐसे सभी विकास खण्ड जिनमें 50 प्रतिशत या इससे अधिक पंचायते पिछड़ी घोषित हों, पिछड़े विकास खण्ड घोषित किए गए हैं । प्रदेश में कुल आठ विकास खण्ड पिछड़े घोषित हैं जिन में कुल 304 पिछड़ी पंचायतें आती हैं ।

(ii) कंटीगुअस (Contiguous) पंचायतें : ऐसी सभी पांच या पांच से अधिक पिछड़ी घोषित पंचायतें जिनके भौगोलिक क्षेत्र एक दूसरे से मिलते हों को पिछड़ी पंचायतों का समूह घोषित किया गया । प्रदेश में कुल 15 पिछड़ी पंचायतों के समूह घोषित हैं जिन में कुल 133 पिछड़ी पंचायतें आती हैं।

(iii)बिखरी पंचायतेंः जिन पिछड़ी घोषित पंचायतों का भौगोलिक क्षेत्र एक दूसरी पिछड़ी पंचायत से नहीं लगता हो अथवा पिछड़ी पंचायतों का समूह पांच पंचायतों से कम हो ऐसी पंचायतों को बिखरी पंचायतें घोषित किया गया । प्रदेश में कुल 110 बिखरी हुई पिछड़ी पंचायतें हैं।

(ख) चयनित 13 विकास शीर्षो में पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना के लिए परिव्यय चिन्हांकित किया जाता है ।

(ग) लाभार्थी एवं क्षेत्र मूलक, दोनों प्रकार की, योजनाओं को अपनाया गया है ।

(घ) जिलों को पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना के अन्तर्गत बजट आवंटन, जिले में विद्यमान कुल पिछड़ी पंचायतों के अनुपात मे किया जाता है ।

(ङ) उप योजना का प्रबन्धन, जिला योजना, विकास एवं बीस सूत्रीय कार्यक्रम समीक्षा समिति के अनुमोदन पश्चात, उपायुक्तों के माध्यम से किया जाता है । उपायुक्तों एव जिला योजना अधिकारियों को इस उप-योजना का क्रमशः नियंत्रण तथा आहरण एव वितरण अधिकारी घोषित किया गया है ।

(च) योजना विभाग पिछड़ा क्षेत्र उप योजना के अन्तर्गत केवल पूंजीगत शीर्षों को ही नियन्त्रित करता है । राजस्व शीर्षों का संचालन सम्बन्धित विभागों द्वारा किया जाता है । प्रदेश में कुल 3226 पंचायतों में से 547 पंचायतें पिछड़ी घोषित की जा चुकी हैं । सरकार द्वारा उप-योजना के लिए अलग बजट की व्यवस्था मांग संख्या-15 (योजना एवं पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना) में की जाती है । वर्ष 2017-18 के लिए मु0 54.47 करोड़ रू० का बजट प्रावधान योजना में पूंजीगत कार्यों के लिए रखा गया था और वर्ष 2018-19 के लिए पूंजीगत कार्यों के लिए मु0 59.45 करोड़ रू० का बजट प्रावधान योजना में रखा गया है।

जिलावार पिछड़ी पंचायतों की संख्या तथा वर्ष २०१७–१८ के लिए पिछड़ा क्षेत्र उप–योजना के लिए पूंजीगत परिव्यय /व्यय का विवरण निम्न प्रकार से है:–

(रू०लाखों में)

कम	जिला	पिछड़ी घोषित			
संख्या		पंचायतों की संख्या	योजना परिव्यय	अनुमानित व्यय	
1.	2.	3.	4.	5.	
1.	बिलासपुर	15	149.37	113.65	
2.	चम्बा	159	1583.31	1583.31	
3.	हमीरपुर	13	129.45	129.45	
4.	काँगड़ा	17	169.29	169.29	
5.	कुल्लू	79	786.68	786.68	
6.	मण्डी	149	1483.73	1483.73	
7.	शिमला	83	826.51	826.51	
8.	सिरमौर	26	258.91	258.91	
9.	सोलन	3	29.87	29.87	
10.	ऊना	3	29.87	29.87	
	योग	547	5447.00	5411.28	

V. क्षेत्रीय एवं जिला नियोजन प्रभाग

राज्य स्तर पर योजना विभाग में विभिन्न विकेन्द्रीकृत नियोजन कार्यक्रमों के संचालन तथा अनुश्रवण के लिए क्षेत्रीय एवं जिला नियोजन प्रभाग की स्थापना की गई है। विभिन्न विकेन्द्रीयकृत नियोजन कार्यक्रमों का विवरण निम्न प्रकार से है :–

1. विकास में जन सहयोग कार्यक्रम :

आधारभूत स्तर पर आधारिक संरचना के रूप में विकासात्मक जरूरतों को पूरा करने के लिए लोगों की प्रभावी हिस्सेदारी सुनिश्चित करने तथा सरकार के प्रयासों / स्त्रोतों को सुदृढ़ करने के लिए विकास में जन सहयोग कार्यक्रम को 1991–92 में शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लोगों की भागीदारी स्वैच्छिक रूप में व अग्रिम नकद भागीदारी द्वारा है जिसको सम्बन्धित उपायुक्त के नाम बैंक / डाकघर में खोले गए खातों में जमा करवानी पड़ती है। वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान इस कार्यक्रम में 19.63 करोड़ रूपए की धनराशि का बजट प्रावधान था। वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान इस कार्यक्रम के लिए 21.59 करोड़ रूपए की धनराशि का बजट प्रावधान रखा गया है।

इस कार्यक्रम की मुख्य विशेषताएं निम्न है:-

- शहरी क्षेत्रों में, सामुदायिक और सरकारी अंशदान की लागत भागीदारी 50:50 है, जबकि सरकारी परिसम्पतियां जैसे स्कूल भवन, स्वास्थ्य संस्थान एवं पशु चिकित्सा संस्थान, पेयजल आपूर्ति व सीवरेज़ योजनाओं का निर्माण और हैण्डपम्प स्थापित करने के लिए लागत भागीदारी 25:75 है, लेकिन इस सुविधा का प्रयोग समुदाय के लिए होगा न की किसी परिवार अथवा व्यक्ति विशेष के लिए।
- 2. ग्रामीण क्षेत्रों में, समुदाय और सरकारी अंशदान की लागत भागीदारी 25:75 है, परन्तु जनजातीय क्षेत्रों, पिछड़ा घोषित पंचायतों और मुख्य रूप से अनुसूचित जाति, जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग द्वारा बसे क्षेत्रों में सामुदायिक और सरकारी लागत भागीदारी 15:85 है।
- 3. कोई व्यक्ति सार्वजनिक सम्पति, कार्य की लागत का 50% हिस्सा देकर निर्माण करवा सकता है जो विशुद्ध रूप से परोपकारी रूप में हो या अपने पूर्वजों के पुण्यस्मरण के लिए हो।
- 4. स्वीकृत कार्यो का निर्माण स्वीकृति के एक वर्ष के अन्तराल में पूर्ण करना पड़ता है।
- 5.जिन परिसम्पतियों का रखरखाव करना होता है उनके रखरखाव के लिए समुदाय और सरकार कार्य की कुल लागत का 10 प्रतिशत अतिरिक्त राशि देने के लिए प्रतिबध है।
- 6. सभी कार्य जिनकी अनुमानित लागत 5.00 लाख रूपए से अधिक है का निर्माण सरकारी विभागों द्वारा किया जाता है न की सोसाईटियों / स्थानीय समितियों द्वारा।
- 7.5.00 लाख रूपए तक के कार्यो का कार्यन्वयन ग्रामीण विकास विभाग के सहायक/ कनिष्ठ अभियन्ता की देख रेख में किया जाना सुनिचित किया जाता है और प्रत्येक कार्य की नपाई उस क्षेत्र के कनिष्ठ अभियन्ता / तकनीकी सहायक की माप–पुस्तक (measurement book) में की जाती है।

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत निम्न प्रकार की परियोजनाएं/ परिसम्पतियां स्वीकृत की जा सकती हैः–

- 1. सरकारी शिक्षण संस्थानों के भवनों का निर्माण।
- 2. बहुउद्देशीय सामुदायिक/ सार्वजनिक परिसम्पतिों का निर्माण।
- मोटर योग्य सड़कों एवं रज्जू मार्गो का निर्माण।
- सिंचाई योजनाओं / पेयजल स्कीमों का निर्माण/ हैण्ड पम्पों की स्थापना।
- 5. सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के भवनों का निर्माण।
- महत्वपूर्ण मिसिंग लिंकस का प्रावधान जैसे कि तीन फेज की बिजली की लाइनें, एक्सरे प्लांट और रोगी वाहन इत्यादि।
- 7. आवारा जानवरों के लिए गो– सदन की स्थापना।

2.क्षेत्रीय विकेन्द्रीकृत नियोजन ः

विकेन्द्रीकृत योजना का कार्यान्वयन वर्ष 1993-94 से प्रदेश में आरम्भ किया गया था। अन्तर क्षेत्रीय सन्तुलित विकास बनाए रखने के लिए निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार योजना विभाग द्वारा जिलों को स्वीकृत बजट से धनराशि का आबंटन वर्ष 1981 की जनगणना के अनुसार 60 प्रतिशत जिला की जनसंख्या तथा 40 प्रतिशत जिला के भौगोलिक क्षेत्रफल के आधार पर किया जाता है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत स्थानीय आवश्यकता की स्कीमों व बजट में महत्वपूर्ण मिसिंग लिंक्स इत्यादि का कार्यान्वयन किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान इस कार्यक्रम में 55.07 करोड़ रूपए की धनराशि का बजट प्रावधान था। वित्तिय वर्ष 2018-19 के दौरान इस कार्यक्रम के लिए 60.68 करोड़ रूपए की धनराशि का बजट प्रावधान रखा गया है।

विकेन्द्रीकृत नियोजन कार्यक्रम की मुख्य विशेषताएं निम्न हैः-

- इस कार्यक्रम के अन्तर्गत स्कीमों की स्वीकृति जिला स्तरीय योजना, विकास एवं 20 सूत्रीय कार्यक्रम समीक्षा समिति के पूर्व अनुमोदन के पश्चात ही की जाती है।
- 2. इस कार्यक्रम के अन्तर्गत केवल ऐसे कार्यो पर ही विचार किया जाना चाहिए जिनके प्राक्कलन तथा डिजाईन तकनीकी रूप से तकनीकी प्राधिकरी / अर्ध सरकारी / सरकारी उपकमों में तकनीकी शक्तियों के दायरे में किया हो। सरकारी कर्मियों/तकनीकी अधिकारी जो तकनीकी रूप से प्राक्कलनों को अनुमोदित कर सकता है वह ही कार्य का आकलन और भुगतान के संवितरण को प्राधिकृत करने में सक्षम है।
- 3. उपायुक्त स्थानीय जिला नियोजन के अन्तर्गत योजनाओं की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृतियां प्रदान करने में पूर्णतः सक्षम है। बशर्ते कि चयनित विकास मदों और अन्य जरूरतों को पूरा करने के लिए बजट प्रावधान हो।
- 4. इस योजना के अन्तर्गत न ही किसी भी प्रकार के आवर्ती व्यय/ दायित्व और न ही स्वीकृतियों को इकट्ठा व किसी कार्य को वितीय वर्ष से अधिक चरणवद्ध करना स्वीकार्य है।
- 5. इस कार्यक्रम के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्यो को समुदाय को लाभान्वित करना चाहिए जिसमें कम से कम पाँच परिवार होने चाहिए। कोई भी कार्य जो व्यक्ति विशेष / एकल परिवार को लाभान्वित करता हो इस कार्यक्रम के अन्तर्गत नही किया जाता है।
- 6. स्थानीय जिला क्षेत्रीय विकेन्द्रीकृत नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत उन्हीं कार्यों को स्वीकृत किया जाता है जिनका निर्माण एक ही वितीय वर्ष या स्वीकृति से एक वर्ष के अन्तराल में किया जाना होता है।

3.विधायक क्षेत्र विकास निधि येाजनाः

प्रदेश सरकार ने विकेन्द्रीकृत प्रक्रिया को सुदृढ़ करने के लिए वर्ष 1999–2000 से विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना शुरू की है। इस योजना को वर्ष 2001–02 में बन्द कर दिया था परन्तु वर्ष 2003–04 में 24.00 लाख रू० बजट प्रावधान प्रति निर्वाचन क्षेत्र के साथ आरम्भ कर दिया है। प्रदेश सरकार वर्षानुवर्ष इस योजना के अन्तर्गत बजट प्रावधन बढ़ा रही है वित्तीय वर्ष 2017–18 में 1.10 करोड़ रूपये का प्रावधान प्रति निर्वाचन क्षेत्रवार किया गया था। जिसे वितिय वर्ष 2018–19 में बढ़ाकर 1.25 करोड़ रूपये प्रति निर्वाचन क्षेत्र कर दिया गया है।

इस स्कीम का कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण माननीय विधायको की प्रत्यक्ष और सकिय भागीदारी के साथ किया जाता है। इस योजना से सभी क्षेत्रों के संतुलित विकास को सुनिश्चित किया है। वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान इस कार्यक्रम में 71.85 करोड़ रूपए की धनराशि का बजट प्रावधान था। वर्ष 2018–19 में इस योजना के लिए 81.65 करोड़ रूपए का बजट प्रावधान रखा गया है।

विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना के अन्तर्गत निम्न कार्य किए जा सकते है:–

- 1. विभिन्न पाठशालाओं में कमरों का निर्माण।
- आयुर्वेदिक औषधालयों, पशु चिकित्सा औषधालयों व स्वास्थ्य उपकेन्द्रों का निर्माण।
- हैंड पम्पों की स्थापना।
- ऐसे गावों के लिये मोटर योग्य अथवा जीप योग्य लिंक सड़कों का निर्माण जो पहले से सड़कों से न जुड़े हुए हों।
- गांवों में सामान्य सामुदायिक भवनों का निर्माण जो कि गांव स्तर पर विभिन्न संस्थाओं अथवा प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए जा सकें।
- स्वास्थ्य संस्थानों में ऐसे उपकरणों का प्रावधान जो वहां पहले से विद्यमान न हों जैसे कि एक्सरे मशीनें, अल्ट्रासांऊड मशीनें, ई.सी.जी. मशीनें इत्यादि।
- 7. स्वास्थ्य संस्थानों के लिए एम्बूलैंस का क्रय बशर्ते कि उस पर होने वाले आवर्ती व्यय के लिए संबंधित संस्था/विभाग के पास पूर्ण व्यवस्था उपलब्ध हो।
- 8. ग्रामीण सड़कों के लिए छोटे पुलों अथवा पुलियों का निर्माण, विभिन्न खड्डों, नदी–नालों इत्यादि पर पैदल चलने वाले लोगों के लिए Foot Bridges का निर्माण।
- 9. ग्रामीण रास्ते केवल पक्के concrete based or black topped तथा जिसमें दो पहिया वाहन चल सकें।
- 10. छूटी हुई बस्तियों के लिए पेय जल योजनायें जहां अतिरिक्त पाईप लगा कर सार्वजनिक नल लगाए जाने की आवश्यकता हो।
- 11. स्थानीय स्तर की सिंचाई स्कीमें।

- 12. पाठशालाओं में शौचालयों के निर्माण के अतिरिक्त बस अड्डा आदि स्थानों पर सार्वजनिक शौचालयों और स्नानगृहों का निर्माण भी करवाया जा सकता हैं।
- 13. दूर–दराज व ग्रामीण क्षेत्रों में बचे हुए घरों का विद्युतिकरण (LT Extensions).
- 14. स्कूल भवनों की मुरम्मत तथा स्कूल के खेल मैदानों का निर्माण कार्य।
- 15. पंचायतों तथा शहरी निकायों में व्यायामशाला के निर्माण का कार्य।
- १६. बस स्टैण्डों का निर्माण व रख–रखाव।
- 17. ग्रामीण अथवा शहरी क्षेत्रों में सरकारी भवनों की मुरम्मत जैसे कि सरकारी आयुर्वेदिक औषधालयों, पशु चिकित्सा औषधालयों, स्वास्थ्य संस्थान, सामुदायिक भवन, शैक्षणिक संस्थान इत्यादि।
- 18. ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में सड़कों की मुरम्मत व रख–रखाव।
- 19. सामुदायिक Wi-Fi लगाने का प्रावधान (Non-recurring expenditure).
- 20. निर्माण कार्यों के साथ–साथ–अन्य लोक कल्याणकारी योजनाऐं जैसे कि स्कूलों में बच्चों के बैठने का सामान, स्कूलों में खेल सामग्री, अस्पतालों में बिस्तर तथा कम्बल, जल वितरण में मोटर पम्पों को बदलना, महिला मण्डलों को बर्तन(अधिकतम 20,000/–रूपये प्रति महिला मण्डल) तथा फर्नीचर क्रय आदि भी किया जा सकता हैं।

4.मुख्य मंत्री ग्राम पथ योजनाः

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों को नजदीकी मोटर योग्य सड़को से जोड़ने के उद्देश्य से कच्चे रास्तों को पक्का किया जाता है। इसके अतिरिक्त दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सभी मौसम में कनैक्टीविटी प्रदान करने के लिए पुलियों / पुलों का भी निमार्ण करना। प्रदेश सरकार ने पहाड़ी और मुश्किल भौगोलिक क्षेत्रों के मध्यनज़र 2 कि0मी0 तक जीप योग्य / टूरैक्टर योग्य सम्पर्क मार्गो के निर्माण की अनुमति दी है। मुख्य मंत्री ग्राम पथ योजना 10 गैर जनजातीय जिलों के लिए वर्ष 2003–04 में आरम्भ की है। वर्ष 2004–05 में इस योजना को बन्द कर दिया था और वर्ष 2008–09 में पुनः शुरू किया गया है। वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान इस कार्यक्रम में 5.50 करोड़ रूपए की धनराशि का बजट प्रावधान था। इस योजना के अन्तर्गत 10 गैर जनजातीय जिलों के लल्प वर्ष 2018–19 में प्रति वर्ष 5.50 करोड़ रूप का बजट प्रावधान किया गया है।

इस योजना की मुख्य विशेषताएं निम्न है:-

 इस योजना के अन्तर्गत बजट धनराशि का आंबटन योजना विभाग द्वारा उपायुक्तों को जिले की वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार कुल ग्रामीण जनसंख्या तथा जिले में आबाद गांवों की संख्या में 50:50 के अनुपात पर किया जाता है।

- 2. इस योजना के माध्यम से किसी प्रकार के भी आवर्ती राजस्व व्यय के लिए प्रावधान नही किए जाएगें और न ही कच्चे रास्तों के निर्माण के लिए कोई स्वीकृतियां मान्य होंगी।
- 3. इस योजना के अन्तर्गत निर्मित पक्के सम्पर्क रास्तों का रख-रखाव सम्बन्धित पंचायत अपने स्त्रोत/ राजस्व से करेगी। इस प्रकार का अनुबन्ध स्वीकृति प्रदान करने से पहले सम्बन्धित ग्राम पंचायत से लेना आवश्यक होगा।
- 4. इस कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्माण कार्य के तकनीकी अनुमानों का अनुमोदन ग्रामीण विकास विभाग के कनिष्ठ अभियन्ता / सहायक अभियन्ता/ अधिशासी अभियन्ता निर्धारित तकनीकी शक्तियों के अनुसार करेंगे।
- 5. इस कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्मित कार्यो को जिला स्तरीय योजना, विकास एवं बीस सूत्रीय कार्यक्रम समीक्षा समिति में अनुमोदित करवाना आवश्यक है।
- 6. इस योजना के अन्तर्गत निर्मित किए जाने वाले पक्के रास्तों का कार्यान्वयन स्वीकृत धनराशि के अन्दर ही होगा। इस योजना के अन्तर्गत संशोधित स्वीकृति का कोई प्रावधान नहीं होगा।
- 7. सड़क की अलायनमेंट लोक निर्माण विभाग से अनुमोदित होनी चाहिए ताकि जीप योग्य सड़क को बाद में अपग्रेड करके बस योग्य सड़क लोक निर्माण विभाग के मानदंडो के अनुसार बनाया जा सकें।

5. संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजनाः

भारत सरकार द्वारा वर्ष 1993–94 से संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना को आरम्भ किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत माननीय संसद सदस्यों द्वारा अपने – अपने निर्वाचन क्षेत्रों के पूंजीगत छोटे-छोटे कार्यो कमशः पेयजल, प्राथमिक शिक्षा, जनस्वास्थ्य और सड़कों इत्यादि को करने की अनुशंसा की जाती है। कार्यो की स्वीकृतियां उपायुक्तों द्वारा प्रदान की जाती है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा प्रत्येक संसद सदस्य को प्रतिवर्ष 5 करोड़ रूपए उनकी अनुशंसा पर विभिन्न कार्यो के लिए जारी की जाती है।

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत निम्न सेक्टर की स्कीमों को किया जा सकता हैः–

- 1. पेयजल सुविधा।
- 2. शिक्षा।
- ३. विद्युत सुविधा।
- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण।

- रिंचाई सुविधाएं।
- गैर–पारम्परिक ऊर्जा स्रोत।
- ७. अन्य लोक सुवधाएं।
- 8. रेलवे, सड़कें, पगडंडी और पुल।
- 9. सफाई और जन स्वास्थ्य ।
- १०. खेलकूद।
- 11. पशु देखभाल,डेयरी तथा मत्स्य पालन संबंधी कार्य।
- 12. कृषि से संबंधित कार्य।
- 13. हथकरघा बुनकरों के लिए कलस्टर विकास से संबंधित कार्य।
- 14. शहरी विकास से संबंधित कार्य।

VI. जनशक्ति एवं रोजगार प्रभागः

जनशक्ति एवं रोजगार प्रभाग को निम्न प्रमुख कार्य सौंपे गये हैं :-

(i) जनशक्ति की तथ्य पुस्तिका तैयार करनाः

जन शक्ति एव रोजगार विकासात्मक योजना का अभिन्न अंग है। यह जरूरी हो गया है कि राज्य स्तर पर तकनीकी और जनशक्ति के विभिन्न पहलुओं को कवर करने के लिए जनशक्ति सूचना जानकारी प्रणाली विकसित की जाए। इस प्रणाली की महत्वता को ध्यान में रखते हुए योजना विभाग में गठित जनशक्ति एवं रोजगार प्रभाग जनशक्ति जानकारी से सम्बन्धित सूचना का संग्रहण, संकलन और सारणीकरण कर इस का सारांश एक पुस्तिका "Fact Book of Manpower" के रूप में प्रकाशित करता है।

इस पुस्तिका प्रकाशन का कार्य एक नियमित प्रकृति का है क्योंकि समय समय पर इस कार्य को करने हेतु अनुवर्ती और संशोधन की आवश्यकता होती है तथा सांख्यिकीय डाटा तालिकाओं सहित जनसंख्या, जनशक्ति, रोजगार, बेरोजगारी, प्रशिक्षण और स्वास्थ्य संस्थानों के बारे में सीधे प्रशिक्षण और रोजगार से संबंधित संकलित किया जाता है।

(ii) ई.एम.आई. कार्यक्रम तथा उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर रिपोर्टः रोजगार बाजार सूचना कार्यक्रम के तहत जनशक्ति एवं रोजगार प्रभाग द्वारा जिलों/क्षेत्रीय रोजगार कार्यालयों से डाटा का संग्रहण किया जाता है तथा 'संगठित क्षेत्र में रोजगार के त्वरित आकलन' रिपोर्ट को हर वर्ष संकलित किया जाता है। इस रिपोर्ट में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों के प्रत्येक तिमाही के अंत के आंकड़ों की स्थिति को शामिल किया जाता है।

VII. बाह्य-सहायता परियोजना प्रभागः

योजना विभाग के बाह्य सहायता परियोजना प्रभाग को विभिन्न विभागों के परियोजना प्रस्तावों को बाह्य वित्त सहायता प्राप्त करने हेतु परियोजनाओं के विशलेषण का कार्य दिया गया है। योजना विभाग के इस कक्ष का मुख्य कार्य राज्य के परियोजना प्रस्तावों को बाह्य सहायतार्थ प्राधिकरणों, निजि निवेशकर्ताओं व केन्द्रीय सरकार को वित्तीय प्रबन्धन के लिए प्रेषित किये जाने से पूर्व उनका तकनीकी, प्रशासकीय एंव वित्तीय पहलुओं के दृष्टिगत राज्य के आर्थिक संसाधनों को देखते हुए विस्तृत विश्लेषण करना है । उपरोक्त के अतिरिक्त यह प्रभाग सभी बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं की समीक्षा एंव अनुश्रवण करता है। यह प्रभाग सहायता प्रदान करने वाली विभिन्न एजेंसियों के साथ परियोजनाओं के चिन्हांकन तथा समीक्षा हेतू पत्राचार करता है। प्रशासनिक सचिव, योजना, हि०प्र० सरकार को प्रदेश की सभी बाहय-सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए राज्य नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है ।

इन परियोजनाओं के समयबद्ध कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने हेतू कार्यान्वयन एजैन्सियों से वितीय व भौतिक उपलब्धियों की रिपोर्ट त्रैमासिक आधार पर प्राप्त की जाती है। इस प्रभाग द्वारा बाहृय सहायता प्राप्त करने हेतू विभिन्न विभागों के परियोजना प्रस्तावों को भारत सरकार को प्रेषित करने के संदर्भ में परामर्श प्रदान किए जाते हैं।

विश्व बैंक, एशियन विकास बैंक (ए.डी.बी.), जापान अंन्तर्राष्ट्रीय सहयोग अभिकरण (JICA), जी. आई. जैड., ए.एफ.डी. (फ्रांसीसी सरकार की एजैंसी) तथा के.एफ.डब्ल्यू. (जर्मन एजैंसी), न्यू डवैलपमेंट बैंक आदि अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों तथा भारत सरकार से प्राप्त मार्गदर्शिकाओं को. परियोजना प्रस्ताव आमन्त्रित करने के लिए. सम्बन्धित विभागों को प्रेषित किया जाता है तथा उनसे यह आग्रह किया जाता है कि वे राज्य की प्राथमिकताओं को देखते हुये परियोजना प्रस्ताव तैयार करें । योजना विभाग में विभिन्न विभागों से प्राप्त परियोजना प्रस्तावों को तकनीकी, प्रशासनिक, सामाजिक, आर्थिक, वितीय मापदण्डों के दृष्टिगत विश्लेषण करके अनुमोदित किया जाता है।

हिमाचल प्रदेश में कार्यान्वित की जा रही बाहय सहायता प्राप्त परियोजनाएं:

		रूपये करोड़ों में				<u>.</u>
Φ 0	परियोजना का नाम	डोनर एर्जेसी	नोडल	कुल		अवधि
सं0			विभाग	लागत	प्रारम्भ की तारीख	समाप्ति की तारीख
1	2	3	4	5	6	7
1.	हि०प्र० राज्य सड़क परियोजना	विश्व बैंक	लोक निर्माण विभाग	1802.84	जुलाई.07	जून.1 6
2.	हिमाचल प्रदेश मध्य हिमालयन जलागम विकास परियोजना	विश्व बैंक	वन विभाग	661.44	अक्तूबर–० 5	मार्च. १ ७
3.	हिमाचल प्रदेश में पर्यटन क्षेत्र में अधोसरंचना विकास निवेश कार्यक्रम	एशियन डवैलपमेंट बैंक	पर्यटन विभाग	428.22	2010	2020
4.	हि०प्र० फसल विविधीकरण उन्नत परियोजना	जे0 आई0 सी0 ए0	कृषि विभाग	321.00	जुलाई.11	मार्च. १ ८
5.	क्लीन एनर्जी द्रांसमिशन निवेश कार्यक्रम	एशियन डवैलपमैंट बैंक	विद्युत विभाग	1927.00	जनवरी. १ २	दिसम्बर.१८
6.	विद्युत परियोजनाएं	एशियन डवैलपमैंट बैंक	विद्युत विभाग	6673.87	नवम्बर.08	जून.16
7.	हि० प्र० फॉरेस्ट ईको सिस्टम जलवायु प्रूफिंग परियोजना	के.एफ.डब्ल्यू	वन विभाग	308.45	अप्रैल.१ ५	मार्च.२२
8	हि० प्र० उद्यान विकास परियोजना	विश्व बैंक	उद्यान विभाग	1134.00	अगस्त.१६	जुलाई.23

नई बाहृय सहायता प्राप्त परियोजनाओं की अद्यतन स्थिति :

उपरोक्त चालू परियोजनाओं के अतिरिक्त निम्नलिखित नई परियोजनाएं भी राज्य सरकार द्वारा आरम्भ की जा रही है अथवा निकट भविष्य में चालू होने वाली हैः

1. हिमाचल प्रदेश कौशल विकास परियोजना ः

हिमाचल प्रदेश में तकनीकी व व्यावसायिक शिक्षा तथा प्रशिक्षण (टी०वी०ई०टी०) संस्थानों के आधनिकीकरण व राज्य के युवाओं में कौशल विकास के लिए भारत सरकार ने 28 मार्च, 2018 को ए०डी०बी० के साथ 80 मिलियन डॉलर (512 करोड़ रू०) के ऋण समझौते पर नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए। 100 मिलियन डॉलर (640 करोड़ रू०) के इस प्रोजैक्ट के 2022 के अंत तक पूरा होने की उम्मीद है। 512 करोड़ रू० ए०डी०बी० के ऋण में से राज्य सरकार को ९० प्रतिशत अनुदान के के रूप में प्राप्त होंगें। इस परियोजना के अन्तर्गत सभी गतिविधियों को योजना विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अन्तर्गत स्थापित हि० प्र० कौशल विकास निगम द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा। इस परियोजना के अंतर्गत 2022 तक हिमाचल प्रदेश के लगभग 65 हजार युवाओं को राष्ट्रीय कौशल प्रमाणन मानकों (एन०एस०क्यू०एफ०) के अनुसार रोजगार प्रदान करने वाले विशेष प्रशिक्षण दिए जाएंगे। यह प्रोजेक्ट राज्य में विभिन्न स्तरों पर आधारभूत संस्थागत संस्थानों को स्थापित करने में सहायक सिद्ध होगा जिसके अंतर्गत महिलाओं के लिए एक पॉल्टैक्निक, 6 सिटी आजीविका सैंटरस व ७ ग्रामीण आजीविका सैंटरस स्थापित किए जाएंगे तथा १० रोजगार एक्सचैजों को मॉडल कैरियर सैंटरस के रूप में अपग्रेड किया जाएगा। राज्य सरकार के ये प्रयास युवाओं में टी०वी०ई०टी० कार्यक्रमों के प्रति जागरूकता लाने, प्रशिक्षण उपकरणों का आधुनिकीकरण करने, सूचना प्रणाली को लागू करने, निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी बढाने और हिमाचल प्रदेश में युवाओं के लिए बाजार प्रासंगिक प्रशिक्षण तथा आजीविका के अवसरों को बेहतर बनाने की ओर अग्रसर रहेंगे। इसके अंतर्गत ऑटोमोबाइल, इलैक्ट्रेनिक्स, फार्मासुटिकल्स, पर्यटन व हॉस्पिटेलिटी, बैंकिंग व वित्त सेवाओं तथा स्वास्थ्य देखभाल आदि से संबंधित क्षेत्रों में अल्पावधि व लम्बी अवधि के प्रक्षिशण कार्यक्रमों के लिए धन मुहैया करवाया जाएगा ताकि युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढाने में सहायता मिल सके।

स्त्रोत स्थिरता व जलवायु रेजिलिएंट वर्षा–पोषित कृषि के लिए एकीकृत विकास परियोजनाः

हिमाचल प्रदेश में नदियों के आसपास जलवायु अनुकूलित कृषि में सुधार करने के लिए विश्व बैंक द्वारा 4 अगस्त, 2017 को 100 मिलियन अमरीकी डॉलर (लगभग 650 करोड़ रूपए) की अनुमानित लागत वाला एक प्रोजेक्ट स्वीकार कर लिया गया है। इस लागत का 80 प्रतिशत विश्व बैंक से ऋण द्वारा वित पोषित होगा तथा 20 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा राज्य हिस्सेदारी के रूप में वहन किया जाएगा। यह परियोजना 2017–2024 तक 7 वर्ष की अवधि में लागू की जाएगी। यह परियोजना हि0प्र0 प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन सोसाइटी, सोलन द्वारा किन्नौर और लाहौल स्पिति को छोड़कर हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों में लागू की जाएगी। 2018–19 के लिए इस परियोजना के लिए 35.00 करोड़ रूपये का बजट प्रावधान रखा गया है।

3. हि०प्र० वन पारिस्थितिक तंत्र प्रबंधन व आजीविका वृद्धि/सुधान परियोजनाः

वनों और पहाड़ी पारिस्थितिक तंत्र को संरक्षित करने के उद्देश्य से समुदायों को बेहतर आजीविका के अवसर प्रदान करने के लिए वन आवरण व घनत्व को बढाना इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य है। इस परियोजना को बिलासपुर, किन्नौर, कुल्लू, लाहौल स्पीति, मंडी व शिमला जिलों में दस वर्षो की अवधि में कार्यान्वित करने का प्रस्ताव है। 800 करोड़ रूपये की इस परियोजना का वित्तपोषण जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (जेआईसीए) कर रही है, जिसमें 80 प्रतिशत लागत जेआईसीए से ऋण के रूप में तथा 20 प्रतिशत राज्य की हिस्सेदारी के रूप में वहन किया जाएगा। जेआईसीए अध्ययन दल वर्तमान में इस परियोजना के गहन सर्वेक्षण कार्य में शामिल है। इस परियोजना का मुख्यालय शिमला में तथा उप–कार्यालय कुल्लू और रामपुर में है। 2017–18 के दौरान इस परियोजना के लिए 1 करोड़ रूपए की अतिरिक्त राशि जारी की गई है। 2018–19 के लिए इस परियोजना के लिए 15.00 करोड़ रूपये का बजट प्रावधान रखा गया है।

हिमाचल प्रदेशः समृद्धि के लिए वन परियोजना ः

यह परियोजना राज्य के विकास में वनों के आर्थिक योगदान को बढ़ाने के लिए किन्नौर, मंडी, शिमला, कुल्लु और बिलासपुर जिलों में सतलुज के कुछ हिस्सों में प्रस्तावित है तथा इन जिलों के अलावा चार अन्य स्थानों पर पायलट गतिविधियों के साथ शुरू की जाएगी। इस परियोजना का कुल परिव्यय 100 मिलियन अमरीकी डॉलर (INR 665.28 करोड़) है जिसमें से 80 मिलियन अमरीकी डॉलर (80 प्रतिशत) विश्व बैंक से ऋण होगा राज्य हिस्सेदारी 20 मिलियन अमरीकी डॉलर (20 प्रतिशत) की होगी। गत वर्षों में अनुमोदित गतिविधियों पर किए गए खर्च की WB द्वारा Retro-actively प्रतिपूर्ति की जाएगी तथा इस परियोजना का समझौता 2018 में हस्ताक्षरित होना प्रस्तावित है। परियोजना मुख्यालय उना में है तथा उप–कार्यालय धर्मशाला और शिमला में स्थित है। 2017–18 के दौरान इस परियोजना के पक्ष में 4.12 करोड़ रूपये की अतिरिक्त राशि जारी की गई है। 2018–19 के लिए इस परियोजना के लिए 50.00 करोड रूपये का बजट प्रावधान रखा गया है।

5. हिमाचल प्रदेश ग्रामीण जल आपूर्ति परियोजनाः

100 मिलियन अमरीकी डॉलर की राशि वाली इस परियोजना का 80 प्रतिशत भाग (80 मिलियन डॉलर) ब्रिक्स के एनडीबी से वितपोषित किया जाएगा तथा 20 प्रतिशत भाग (20 मिलियन अमरीकी डॉलर) राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। यह परियोजना हिमाचल प्रदेश राज्य के ग्रामीण इलाकों में छोड़े गए/ आंशिक रूप से कवर आवासों को जल सुविधा प्रदान करने के लिए 18 ग्रामीण जल आपूर्ति योजनाओं को कवर करेगी। 2018–19 के लिए इस परियोजना के लिए 10.00 करोड़ रूपये का बजट प्रावधान रखा गया है। इन परियोजनाओं के अतिरिक्त शहरी क्षेत्र की सीवरेज सिस्टम व ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण संयत्रों के विकास से संबंधित परियोजनाएं तथा ग्रामीण जल आपूर्ति क्षेत्र से संबंधित परियोजनाएं भारत सरकार व डोनर एजेंसियों के साथ वार्ता के विभिन्न चरणों में पाईपलाईन में है तथा जिसके निकट भविष्य में आरम्भ होने की सम्भावना है।

राज्य स्तर पर नवाचारः

हिमाचल प्रदेश को एक इनोवेटिव राज्य के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से विभिन्न विभागों को नई तकनीकों को अपनाने के लिए प्रेरित करने व विभिन्न क्षेत्रों के अनुभवों के आदान–प्रदान द्वारा राज्य स्तर पर नवाचार को बढावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा निम्न कदम उठाए गये है।

राज्य नवाचार परिषद् –राज्य स्तर पर नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सर्वोच्च निकाय

स्थानीय प्रतिभाओं, दक्षताओं, संसाधनों और क्षमताओं के लिए एक आम प्लेटफार्म प्रदान करके इनोवेटिव प्रक्रियाओं और प्रथाओं को संस्थागत बनाने के लिए एक सर्वोच्च निकाय के रूप में राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 2011 में हिमाचल प्रदेश राज्य नवाचार परिषद् का गठन किया, जिसमें राज्य के प्रमुख विभागों, तकनीकी संस्थानों और विश्वद्यिालयों को प्रतिनिधित्व दिया गया। नए विचारों को आगे बढाने के लिए, परिषद ने राज्य स्तर पर दो आयामी रणनीति अपनाई हैः

1. राज्य इनोवेशन फंडः नए व इनोवेटिव विचारों को वास्तविकता में कम लागत पर लागू कर इन्हें रेपलिकेबल बनाने के लिए gap-funding की आवश्यकता को पूरा करने के लिए राज्य इनोवशन फंड का गठन किया गया है।

2. राज्य इनोवेशन अवार्ड योजनाः किसी व्यक्ति/विभाग/संस्था द्वारा अपने स्तर पर आरम्भ और पूरी की गई ऐसी इनोवेटिव परियोजनाओं, जो कि कम लागत वाली होने के साथ–साथ बड़े पैमाने पर आम जनता की आवश्यकता को पूरा कर सकती हैं, को पहचानने के लिए हि0प्र0 राज्य इनोवेशन अवार्ड योजना भी शुरू की गई है।

1. <u>राज्य इनोवशन फंडः</u> विभिन्न विभागों की इनोवेटिव परियोजनाओं को निधि देने के लिए 2013–14 में इस कोष का गठन किया गया था।

फंड का उद्देश्यः

सरकारी विभागों को नई पहल आरम्भ करने के लिए प्रोत्साहित करना।
आम जनता के लिए सेवा वितरण में सुधार लाने के उद्देश्य से सरकारी विभागों के कामकाज में उत्कृष्टता और रचनात्मकता को बढावा देना।

राज्य इनोवशन फंड से वित्त पोषित इनोवेशन्सः पिछले चार वर्षो के दौरान, विभिन्न विभागों की चौदह योजनाओं/परियोजनाओं को राज्य इनावेशन फंड (एसआईएफ) से वित्त पोषित किया गया हैः

- 🕨 जिला प्रशासन चंबा की मणीमहेश यात्रा परियोजना।
- 🕨 रक्त बैंक प्रबंधन सूचना प्रणाली (बीबीएमआईएस)।
- सूचना और जनसंपर्क विभाग की विभिन्न गतिविधियों का कम्प्यूटरीकरण (स्वचालन)।
- लोक निर्माण विभाग के प्रधान कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालयों और ट्राईबल मंडलों में वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा प्रदान करना।
- 🕨 राशन कार्ड फार्मो की दस्तावेज प्रबंधन प्रणाली (DMS)।
- हि० प्र० कृषि विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में हि०प्र० पर केन्द्रित विशेष खंड का डिजिटलीकरण।
- 🕨 टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग का ऑनलाइन योजना अनुमति प्रोजेक्ट।
- 🕨 हिमाचल प्रदेश सचिवालय लाइब्रेरी का डिजिटलीकरण।
- पशुपालन विभाग की मेडिसिन/वीर्य स्ट्रॉज के लिए ऑनलाइन इन्वेंटरी एप्लीकेशन।
- हिमुडा के आवंटन व प्रशासनिक शाखा के ऑटोमेशन के प्रथम चरण का कार्यान्वयन।
- कचरा एकत्रित करने के लिए निरंतर कचरा एकत्रित प्रणाली का प्राटोटाइप विकसित करना।
- RFSL मंडी में फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज में अत्याधुनिक डिजिटल फॉरेंसिक सुविधाओं के विकास से संबंधित परियोजना।
- RFSL-NR धर्मशाला में वीडियों कॉन्फ्रैंसिंग सुविधाओं को स्थापित करने के लिए परियोजना।
- आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केन्द्र चियोग में मिनी हर्बल गार्डन व एक्यूप्रैशर ट्रैक की स्थापना।

सर्वश्रेष्ठ नवाचारों को पुरस्कृत करने के लिए <u>हि०प्र० राज्य इनोवेशन</u> अवार्ड योजनाः

अभिनव विचारों को वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए 2014–15 से हि0प्र0 राज्य इनोवेशन पुरस्कार योजना शुरू की गई है। नवाचार, जो सेवा वितरण में सुधार करते हैं और समाज में सकारात्मक प्रभाव डालते हैं, उन्हें राज्य स्तर पर मान्यता प्रदान कर पुरस्कृत किया जाता है। शुरूआत में इस योजना के अंतंर्गत छः क्षेत्रों को चयनित किया गया है। प्रत्येक क्षेत्र का एक सर्वोत्तम नवाचार क्षेत्रीय स्तर पर जांच के बाद निश्चित मानदंडों के अनुसार चुना जाता है तथा राज्य स्तर पर राज्य इनोवेशन परिषद के अनुमोदन के पश्चात् चुने गए नवाचारों को पुरस्कृत किया जाता है।

वर्ष 2016-17 के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य अभिनव पुरस्कारः

2016–17 के लिए इस पुरस्कार योजना के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों के 32 प्रस्ताव प्राप्त हुए। सभी प्रस्तावों को आगे की जांच के लिए संबंधित क्षेत्रीय समितियों को एक सर्वोत्तम प्रस्ताव की सिफारिश करने के अनुरोध के साथ भेजा गया था। सभी क्षेत्रीय समितियों से सिफारिशें प्राप्त हो चुकी है और 2016–17 के लिए इन पुरस्कारों की राज्य इनोवेशन परिषद के औपचारिक अनुमोदन के पश्चात् जल्द ही घोषणा की जाएगी।

VIII. कौशल विकास प्रभागः

कौशल विकास से सम्बन्धित कार्य योजना विभाग द्वारा राज्य स्तर पर हि०प्र० कौशल विकास निगम के प्रशासनिक विभाग के रूप में समन्वयित किया जा रहा है । २०१७–१८ के दौरान राज्य में कौशल विकास गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए निम्नलिख्ति कार्य किए गए हैं:–

कौशल विकास परियोजना से सम्बन्धित सभी आवश्यक दस्तावेज/शर्तों को पूरा कर समय–समय पर एशियन विकास बैंक व भारत सरकार के आर्थिक मामलों के विभाग को प्रेषित किया गया । हिमाचल प्रदेश में तकनीकी व व्याससायिक शिक्षा तथा प्रशिक्षण (टी०वी०ई०टी०) संस्थानों के आधुनिकीकरण व राज्य के युवाओं में कौशल विकास के लिए भारत सरकार ने 28 मार्च, 2018 को ए०डी०बी० के साथ 80 मिलियन डॉलर (512 करोड़ रू०) के ऋण समझौते पर नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए। 100 मिलियन डॉलर (640 करोड़ रू०) के इस प्रोजैक्ट की कार्य अवधि वर्ष 2022 तक है। 512 करोड़ रू० के ए०डी०बी० के ऋण में से राज्य सरकार को 90 प्रतिशत अनुदान के रूप में प्राप्त होंगे । इस परियोजना के अन्तर्गत सभी गतिविधियों को योजना विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अन्तर्गत सभी गतिविधियों को योजना विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के जल्तर्गत सभी गतिविधियों को योजना विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के जल्तर्गत स्थापित हि०प्र० कौशल विकास निगम द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा ।

हि0प्र0 कौशल विकास निगम को एशियन विकास बैंक सहायता प्राप्त हि0प्र0 कौशल विकास परियोजना के साथ–साथ प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना के राज्य घटक के अन्तर्गत (PMKVY) प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना 2.0 की कुल प्रशिक्षण संख्या का 25 प्रतिशत केन्द्र प्रायोजित राज्य प्रबंधित घटक को लागू करने के लिए अधिकृत किया गया है ।

2017-18 के दौरान मुख्य सचिव/प्रशासनिक सचिव (योजना)/प्रबन्ध निदेशक, कौशल विकास निगम के स्तर पर कौशल विकास परियोजना के कार्यान्वयन को तेज करने के लिए एशियाई विकास बैंक के सलाहकारों व लाईन विभागों के साथ समय-समय पर बैठकें आयोजित की गई।

हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम के कामकाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए पुनः <u>रोजगार/सैकेण्डमैंट</u> आधार पर कर्मचारियों को आवश्यकता के आधार पर भर्ती किया जा रहा है ।

निगम के साथ–साथ ए०डी०बी० की परियोजना के संबंध में विभिन्न तकनीकी और वित्तीय पहलूओं को राज्य स्तर पर गठित वित्तीय और तकनीकी समिति द्वारा समय–समय पर अनुमोदन/मंजूरी दी गई ।

IX. नावार्ड–ग्रामीण आधारभूत संरचना निधि (आर.आई.डी.एफ.) प्रभागः

वर्ष 1995–96 का वार्षिक बजट प्रस्तुत करते हुए केन्द्रीय वित मन्त्री ने ग्रामीण आधारभूत संरचना निधि की घोषणा करते हुए कहा था कि नाबार्ड राज्य सरकारों के आधारभूत संरचना जुटाने के लिए विभिन्न मदों जैसे मध्यम तथा लघू सिंचाई, भू–संरक्षण तथा अन्य ग्रामीण

2. राज्य सरकार नाबार्ड से आर० आई० डी० एफ० के अन्तर्गत अनेक प्रकार के विकासात्मक गतिविधियों के लिए ऋण प्राप्त कर रही है । मुख्य विकासात्मक गतिविधियां जिन के लिए राज्य सरकार ने नाबार्ड से परियोजनाऐं अनुमोदित करवाई है या ऋण सहायता के लिए भेजी हैं, का ब्यौरा निम्न प्रकार से है :-

- 1. सड़कों एवं पुलों का निर्माण ।
- 2. सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण ।
- 3. बाढ़ नियन्त्रण कार्यो का निर्माण ।
- 4. पेयजल परियोजनाओं का निर्माण ।
- प्राथमिक पाठशालाओं के भवन का निर्माण ''सरस्वती बाल विद्या संकल्प परियोजना''।
- नागरिक सूचना केन्द्रों की स्थापना ।
- 7. ई-अभिशासन (E-Governance) ।
- 8. वरिष्ठ माध्यमिक पाटशालाओं में विज्ञान प्रयोगशालाओं का निर्माण ।
- 9. जल प्रवाह विकास योजना ।
- 10. पशु स्वास्थ्य के लिए अधोसंरचना का सुदृढ़ीकरण ।
- 11. Precision Farming पद्धति अपनाकर नकदी फसलों का उत्पादन परियोजना (पोलीहाऊस एवं लघु सिंचाई) ।
- 12. लघु सिंचाई एवं सम्बन्धित संरचना द्वारा कृषि का विविधीकरण परियोजना ।
- 13. वातानुकूलित भण्डारण निर्माण ।

3. नाबार्ड द्वारा दिनांक 31-03-2018 तक प्रदेश सरकार को **6854** करोड़ रू० की राशि विभिन्न परियोजनाओं के लिए ऋण सहायता के रूप में स्वीकृत की जा चुकी है जिसका विवरण निम्नलिखित है :-

ट्रांच संख्या	कार्यक्रम की अवधि	स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	नाबार्ड ऋण सहायता	राज्य अंशदान	कुल स्वीकृत राशि
1.	2.	3.	4.	5.	6.
आर.आई.डी.एफ -I	1995-96 관 1997-98	77	14.23	4.90	19.13
आर.आई.डी.एफ -II	1996-97 관 1998-99	66	52.96	6.32	59.28
आर.आई.डी.एफ -III	1997-98 _관 1999-2000	28	51.12	5.12	56.24
आर.आई.डी.एफ -IV	1998-99 <mark>ਦੇ</mark> 2000-01	66	87.81	3.48	91.29
आर.आई.डी.एफ - V	1999-2000 관 2001-02	680	110.36	6.80	117.16

(करोड़ रू० में)

कुल योगः(I से XX	5577	6853.69	671.19	7524.88	
आर.आई.डी.एफ- XXIII	2017-18 ਦੇ 2020-2021	181	510.60	50.54	561.14
आर.आई.डी.एफ-XXII	2016-17 से 2019-2020	125	545.54	60.20	605.74
आर.आई.डी.एफ-XXI	2015-16 से 2018-19	170	644.94	60.75	705.69
आर.आई.डी.एफ-XX	2014-15 ਦੇ 2017-18	161	707.61	58.89	766.50
आर.आई.डी.एफ-XIX	2013-14 से 2016-17	142	496.09	65.18	561.27
आर.आई.डी.एफ- XVIII	2012-13 ਦੇ 2015-16	164	432.16	44.32	476.48
आर.आई.डी.एफ-XVII	2011-12 से 2014-15	225	423.69	41.81	465.50
आर.आई.डी.एफ-XVI	2010-11 से 2013-14	186	394.53	37.16	431.69
आर.आई.डी.एफ-XV	2009-10 से 2012-13	223	454.13	36.98	
आर.आई.डी.एफ-XIV	2008-09 से 2011-12	136	424.82	28.13	452.95
आर.आई.डी.एफ-XIII	2007-08 से 2010-11	359	308.06	32.55	
आर.आई.डी.एफ-XII	2006-07 से 2008-09	379	272.30	36.17	308.47
आर.आई.डी.एफ -XI	2005-06 관 2007-08	266	224.67	29.73	254.40
आर.आई.डी.एफ -Х	2004-05 ਦੇ 2006-07	146	91.64	9.96	101.60
आर.आई.डी.एफ -IX	2003-04	182	141.70	19.35	161.05
आर.आई.डी.एफ-VIII	2002-03	237	169.29	13.80	183.09
आर.आई.डी.एफ-VII	2001-02 <mark></mark> ੇ 2003-04	325	168.24	8.90	177.14
आर.आई.डी.एफ -VI	2000-01 관 2002-03	1053	127.20	10.15	137.35

4. दिनांक 31-03-2018 तक उपरोक्त स्वीकृत नाबार्ड ऋण सहायता राशि 6854 करोड रू० में से प्रदेश सरकार ने 4965 करोड़ रू० की ऋण राशि नाबार्ड से प्राप्त कर ली है। नाबार्ड से प्राप्त आर०आई०डी०एफ० कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रतिपूर्ति प्राप्तियों का वर्ष 1995-96 से 2017-18 तक विवरण निम्न तालिका में है :-

वर्ष	प्रतिपूर्ति प्राप्तियाँ
	(करोड़ रू० में)
1.	2.
1995-96	1.60
1996-97	5.31
1997-98	35.44
1998-99	40.65
1999-00	56.01
2000-01	106.92
2001-02	116.44
2002-03	141.58
2003-04	142.35
2004-05	83.17
2005-06	125.09
2006-07	140.38
2007-08	200.00
2008-09	220.00
2009-10	300.00
2010-11	294.49
2011-12	305.51

2012-13	400.00
2013-14	350.00
2014-15	400.00
2015-16	500.00
2016-17	500.00
2017-18	500.00
Total	4964.94

5. नाबार्ड ऋण के अन्तर्गत लक्ष्य एवं प्राप्तियाँ (2006-07 से 2017-18) :

			(करोड़ रू० में)		
कम	वर्ष / ट्रांच	ऋण स्वीकृत लक्ष्य	उपलब्धियाँ	प्रतिशतता	
संख्या					
1.	2006-07 (XII)	277.00	273.48	98.73	
2.	2007-08 (XIII)	298.00	299.26	100.42	
3.	2008-09 (XIV)	406.00	425.12	104.71	
4.	2009-10 (XV)	398.00	454.50	114.20	
5.	2010-11 (XVI)	400.00 (एचपीसी द्वारा	412.90	103.22	
		अनुमोदित)			
		(560.00- ना बार्ड)			
6.	2011-12 (XVII)	400.00 (एचपीसी द्वारा	423.69	105.93	
		अनुमोदित)			
		(540.00-नाबार्ड)			
7.	2012-13 (XVIII)	400.00 (एचपीसी द्वारा	432.16	108.04	
		अनुमोदित)			
		(500.00- ना बार्ड)			
8.	2013-14 (XIX)	475.00 (एचपीसी द्वारा	496.09	104.44	
		अनुमोदित)			
9.	2014-15 (XX)	765.00	707.61	92.50	
10.	2015-16 (XXI)	514.00	644.94	125.47	
11.	2016-17 (XXII)	620.00 (एचपीसी द्वारा	545.54	87.99	
		अनुमोदित)			
		(545.00-नाबार्ड)			
12.	2017-18 (XXIII)	603.00 (एचपीसी द्वारा	510.60	102.12	
	, , ,	अनुमोदित)			
		(500.00-नाबार्ड)			

6. प्रदेश सरकार ने इस कार्यक्रम के अन्तर्गत परियोजना / स्कीमों को नाबार्ड को स्वीकृति के लिए प्रेषित करना तथा योजनाओं की समीक्षा, इत्यादि के सम्बन्ध में योजना विभाग को नोडल विभाग घोषित किया है ।

7. वित्तीय वर्ष २०१७–१८ के दौरान आर०आई०डी०एफ० कार्यक्रम के अन्तर्गत नाबार्ड सहायता प्राप्त परियोजनाओं की समीक्षा हेतु आयोजित बैठकों का ब्यौरा :–

कम संख्या	बैठक का नाम		बैठक की अध्यक्षता
सख्या		स्थान	
1.	2.	3.	4.
1.	आर०आई०डी०एफ० की ४७वीं उच्च स्तरीय	07-04-2017	मुख्य सचिव, हिमाचल
	समिति (HPC)की बैठक	शिमला	प्रदेश सरकार ।

2.	आर०आई०डी०एफ० की ४८वीं उच्च स्तरीय		मुख्य सचिव, हिमाचल
	समिति (HPC)की बैठक	शिमला	प्रदेश सरकार ।
3.	विधायकों के साथ बैठकें	12 व 13 फरवरी, 2018	माननीय मुख्य मंत्री,
		शिमला	हिमाचल प्रदेश।

उपरोक्त वर्णित बैठकों के अतिरिक्त, क्षेत्रीय कार्यालय नाबार्ड शिमला में सभी सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों के साथ द्विमासिक समीक्षा बैठकें आयोजित की गई है । इन बैठकों में कार्यकारी विभागों के अधिकारियों के अतिरिक्त नाबार्ड एवं योजना विभाग के अधिकारी भी भाग लेते हैं । मासिक समीक्षा बैठकों में नाबार्ड़ ऋण पोषित योजनाओं की विस्तृत भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा की जाती है तथा सम्बन्धित विभागों को योजनाओं के निर्माण कार्य को शीघ्र पूरा करने के लिए निर्देश दिए जाते हैं । इन बैठकों से योजनाओं के शीघ्र कार्यान्वयन में काफी सहायता मिलती है। उपरोक्त समीक्षा बैठकों के अतिरिक्त सम्बन्धित प्रशासनिक सचिवों एवं विभागाध्यक्षों के स्तर पर भी समीक्षा बैठकों की जाती हैं। जिला स्तर पर सम्बन्धित उपायुक्तों की अध्यक्षता में भी आयोजित समीक्षा बैठकों में नाबार्ड ऋण पोषित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जाती है।

X. 20-सूत्रीय कार्यक्रम प्रभागः

बीस सूत्रीय कार्यकम-2017-18

बीस सूत्रीय कार्यकम–२००६ (बीसूका–२००६) सांख्यिकी एवं कार्यकम कार्यान्वयन मन्त्रालय, भारत सरकार द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों के अनुरूप प्रदेश में कार्यान्वयन किया जा रहा है ।

बीस सूत्रीय कार्यक्रम, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के निर्धन व्यक्तियों की निर्धनता दूर करने एवं उनके जीवन स्तर में सुधार लाने के उददेश्य से कार्यान्वित किया जा रहा है । बीस सूत्रीय कार्यक्रम में विभिन्न सामाजिक–आर्थिक पहलुओं जैसे कि गरीबी उन्मूलन, रोजगार, शिक्षा, आवास, स्वास्थ्य, कृषि, भू–सुधार, सिंचाई, पेयजल, समाज के कमजोर वर्गो के संरक्षण एवं सशक्तिकरण, उपभोक्ता संरक्षण, पर्यावरण, ई–गवर्नेस, इत्यादि कार्यक्रमों को शामिल किया गया है ।

राष्ट्रीय स्तर पर सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्रालय, भारत सरकार द्वारा बीस सूत्रीय कार्यक्रम–२००६ में शामिल कार्यक्रमों/योजनाओं को राज्य सरकार एवं सम्बन्धित केन्द्रीय नोडल मत्रांलयों से प्राप्त प्रगति प्रतिवेदनों के आधार पर अनुश्रवण किया जाता है ।

पुनःसंरचित बीस सूत्रीय कार्यक्रम–२००६ में मूल रूप में २० सूत्र और ६५ अनुश्रवण योग्य मदें हैं जो कि प्रत्येक राज्य तथा प्रत्येक वर्ष के लिए अलग–अलग होती हैं । २००९–१० तक बीस सूत्रीय कार्यक्रम–२००६ के कार्यान्वयन का आकलन भारत सरकार द्वारा राज्यों की रैंकिंग के आधार पर होता था परन्तु उसके उपरान्त <u>रैंकिंग</u> को समाप्त कर दिया गया है । प्रत्येक अनुश्रवण/निगरानी वाली मद का त्रैमासिक/वार्षिक उपलब्धि के आधार पर "बहुत अच्छा", "अच्छा" और "खराब/चिन्ताजनक" श्रेणी में वर्गीकरण निम्न प्रकार से हैं:-

कम संख्या	प्रतिशतता उपलब्धि	श्रेणी
1.	2.	3.
1.	90 प्रतिशत एवं उससे अधिक	बहुत अच्छा
2.	८० प्रतिशत से ९० प्रतिशत	अच्छा
3.	८० प्रतिशत से नीचे	खराब/चिन्ताजनक

2007 से बीस सूत्रीय कार्यकम–2006 के समन्वय, समीक्षा, अनुश्रवण तथा त्रैमासिक / वार्षिक प्रगति प्रतिवेदनों हेतु योजना विभाग को नोडल विभाग घोषित किया गया है ।

बीस सूत्रीय कार्यकम-2006 के प्रभावशाली निष्पादन में विभिन्न जिलों में प्रतिस्पर्धा लाने के उददेश्य से राज्य सरकार ने अन्तर जिला श्रेणी/विशलेषण का कार्य शुरू किया है । इसके अन्तर्गत प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले तीन जिलों को प्रोत्साहन राशि के रूप में कमशः 50 लाख रूपये, 30 लाख रूपये व 20 लाख रूपये प्रदान करने का प्रावधान किया गया है । इस प्रोत्साहन राशि को जिलों की विभिन्न विकासात्मक कार्यों के लिए उपयोग किया जाता है ।

जिला स्तरीय योजना, विकास एवं बीस सूत्रीय कार्यक्रम समीक्षा समितियाँ सभी जिलों में त्रैमासिक बैठकों में बीस सूत्रीय कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा करती हैं । इन बैठकों की अध्यक्षता माननीय मुख्य मन्त्री/मन्त्री/विधायक द्वारा की जाती है । इसके अतिरिक्त सभी जिलों में उपायुक्त / अतिरिक्त उपायुक्त / अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी / जिला योजना अधिकारी भी समय–समय पर जिलों में आयोजित की जाने वाली विभिन्न बैठकों में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बीस सूत्रीय कार्यक्रम की समीक्षा / अनुश्रवण करते हैं।

राज्य स्तर पर माननीय मुख्य मन्त्री, मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव (योजना) एवं सलाहकार (योजना), हि०प्र० की अध्यक्षता में आयोजित विभिन्न बैठकों में भी बीस सूत्रीय कार्यक्रम की समीक्षा की जाती है ।

बीस सूत्रीय कार्यक्रम तथा राज्य, जिला एवं उप मण्डल स्तर की योजना, विकास एवं बीस सूत्रीय कार्यक्रम समीक्षा समितियों के गठन से सम्बन्धित समस्त /कार्य/पत्राचार, वर्ष 2017–18 के दौरान बीस सूत्रीय कार्यक्रम प्रभाग द्वारा निष्पादित किये गये हैं।

XI. रेलवे प्रभाग ः

राज्य में रेल सम्बन्धित कार्यों के लिए योजना विभाग प्र ाासनिक विभाग है। रेलवे प्रभाग द्वारा रेलवे से सम्बन्धित विभिन्न गतिविधियों जैसे भू–अधिग्रहण, समन्वय, अनुश्रवण व समीक्षा, इत्यादि का कार्य किया जाता है। वर्श 2017–18 के दौरान उत्तर रेलवे के अधिकारियों, RVNL, भारत सरकार एवं राज्य सरकार के विभिन्न सम्बन्धित विभागों के साथ समीक्षा व समन्वय बैठकों का आयोजन किया गया। प्रदेा में मुख्य रूप से निम्न तीन रेल लाईनों का भू अर्जन / निर्माण कार्य किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेा में निर्माणाधीन तीन रेल लाईनों की नवीनतम स्थिति निम्न प्रकार से है:--

1. भानुपल्ली–बिलासपुर–बेरी– ब्रॉडगेज़ रेल लाईन(63.1 कि0मी0)ः

भानुपल्ली–बिलासपुर–बेरी नई रेल लाईन का निर्माण कार्य रेल विकास निगम लिमिटेड (RVNL) द्वारा किया जा रहा है। CCEA के निर्णय के अनुरूप, 25 प्रति ात लागत राज्य सरकार (70 करोड़ रू0 से अधिक की समस्त भू अधिग्रहण लागत प्रदे ा सरकार द्वारा वहन की जायेगी), 25 प्रति ात रेलवे मन्त्रालय, भारत सरकार द्वारा व 50 प्रति ात वित्त मन्त्रालय, भारत सरकार द्वारा वहन की जाएगी। इस रेल लाईन की सं ोधित लागत रू0 1046 करोड़ से बढ़कर रू0 2967 करोड़ हो गई है। हिमाचल प्रदे ा में पड़ने वाली निजी भूमि के अधिग्रहण के लिए भू मालिकों से बातचीत के माध्यम से भू–अधिग्रहण के लिए राज्य सरकार द्वारा वार्ता समिति (Negotiation Committee) का गठन किया गया है भू अधिग्रहण की प्रक्रिया आरम्भ की जा चुकी है। वर्श 2017–18 में राज्य सरकार ने जिला बिलासपुर के दस गॉवों की 315 बीघा जमीन के क्रय (प्रथम चरण 20 कि0मी0 तक) के लिए मु0 88.01 करोड़ रू0 के लिए अपनी सहमति प्रदान कर दी है रेल विकास निगम लिमिटेड (RVNL) को राज्य अं ादान के रूप में मु0 86.02 करोड़ रू0 की रािा जारी की जा चुकी है। वर्श 2017–18 तक रेल विकास निगम को राज्य सरकार ने राज्य अं ादान के रूप में मु0 108.02 करोड़ रू0 की राि 1 जारी कर दी है। FCA मामलों की स्वीकृति प्रक्रियाधीन है।

चण्डीगढ-बददी रेल लाईन(33.23 कि0मी0): हरियाणा व हिमाचल प्रदे ा राज्य से 2. गुजरने वाली इस रेल लाईन का निर्माण कार्य उत्तर रेलवे द्वारा किया जा रहा है। इस रेल लाईन की अनुमानित लागत मु० 1672.70 करोड़ रू० है। इस परियोजना का Funding Pattern 50:50 (राज्य सरकारःरेलवे) है। इस परियोजना के लिए कूल 80 हैक्टेयर भूमि की आव यकता है। इसमें से 27.5 हैक्टेयर हिमाचल प्रदेा तथा 52.5 हैक्टेयर भूमि हरियाणा में पडती है। इस रेल लाईन में पडने वाली निजी भूमि के अधिग्रहण के लिए तथा देरी, मुकदमेबाजी व लागत वृद्वि से बचने के लिए राज्य सरकार द्वारा वार्ता समिति (Negotiation Committee) का गठन किया गया है। वर्श 2017-18 के दौरान उपायुक्त सोलन द्वारा तहसील बददी के आने वाले 9 गॉवों के लिए वार्ता प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। उपायुक्त सोलन द्वारा वार्ता प्रक्रिया के माध्यम से हिमाचल प्रदेा में लगभग 355.34 करोड़ रू0 मूल्य की कुल 366.08 बीघा भूमि (345.13 बीघा निजी भूमि और 20.15 बीघा सरकारी भूमि) का आंकलन किया गया है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में दिनांक 02/06/2017 की समीक्षा बैठक में उपायक्त सोलन से यह अनूरोध किया गया कि अधिकृत की गई भूमि दरों को पुनः वार्ता द्वारा राज्य सरकार की अनुमोदित नीति के अनुसार किया जाए। अभी तक रेलवे द्वारा 175.68 करोड़ रू० व राज्य सरकार द्वारा 47 करोड़ रू० अंा भागीदारी के रूप में जारी किएहैं। निजी भू मालिकों से निजी भूमि को सीधे क्रय करने के लिए भू–अर्जन अधिकारी(रेल) बददी के पास 222.68 करोड रू० (175.68 करोड + 47 करोड) की धनरािा उपलब्ध है। हरियाणा सरकार से यह भी अनुरोध किया गया है कि हरियाणा में पड़ने वाली भूमि का अधिग्रहण भीघ्र किया जाए। एक Linear Project तथा हरियाणा से आरम्भ होने के नाते रेलवे से यह अनुरोध किया गया है कि पहले हरियाणा में भू अधिग्रहण किया जाए और राज्य सरकार द्वारा जारी राज्य अं ादान को हरियाणा में भू–अधिग्रहण के लिए उपयोग किया जाए।

3. नगल-तलवाड़ा ब्रॉडगेज़ रेल लाईन (83.74 कि0मी0): इस रेल लाईन की कुल लम्बाई 83.74 कि0मी0 है जिसमें से 62 कि0मी0 ट्रैक हिमाचल प्रदेा में आता है जिसमें से अम्ब-अन्दौरा (44 कि0मी0) रेल लाईन पर यातायात आरम्भ कर दिया गया है। इस परियोजना को पूर्ण करने की लागत 1200 करोड़ रू0 से बढ़ाकर 2100 करोड़ रू0 कर दी गई है। वर्श 2017–18 में राज्य सरकार ने पॉच गॉवों की भूमि 14–50–77 हैक्टेयर को वार्ता के माध्यम से अधिग्रहण किया गया है तथा इस भूमि को रेल लाईन के निर्माण के लिए रेलवे को हस्तान्तरित कर दिया गया है। भोश एक गॉव में पड़ने वाली भूमि के अधिग्रहण की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है तथा भूमि को भीाघ्र ही क्रय करके रेलवे को सौंप दिया जाएगा। यह परियोजना पूर्ण होने पर जम्मू और क मीर के लिए एक अतिरिक्त वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध करवाएगी। इस रेलवे लाईन का निर्माण रेलवे द्वारा किया जा रहा है। प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा इस परियोजना को प्राथमिकता दी गई है तथा **PRAGATI** द्वारा भी इस परियोजना की समीक्षा की जा रही है।

उपरोक्त के अतिरिक्त प्रदे ा सरकार ने भानुपल्ली–बिलासपुर–बेरी नई रेल लाईन निर्माण भात–प्रति ात केन्द्रीय सहायता से करने का मामला रेल मंत्रालय से उठाया है क्योंकि भारत सरकार ने राश्ट्रीय सुरक्षा की दृश्टि से इस रेल लाईन का निर्माण लेह–लदाख तक करने का निर्णय लिया है।

XII. मूल्यांकन प्रभागः

योजना विभाग के मूल्यांकन प्रभाग को विभिन्न महत्वपूर्ण विकासात्मक योजनाओं व परियोजनाओं के मूल्यांकन अध्ययन का कार्य सौंपा गया है। मूल्यांकन का उद्देश्य कार्यान्वयन प्रकिया को जांचना है ताकि स्कीमों और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में आने वाली मुश्किलों व कमियों का पता लग सके और इन तथ्यों पर आधारित कार्यान्वयन प्रकिया को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए उपाय/ सुझाव दिए जा सकें। विभिन्न कार्यान्वयन एजैंन्सियों से प्राप्त प्रस्तावों का कार्यान्वयन करने के लिए राज्य स्तर पर तकनीकी सलाहकार समिति का गठन किया गया है।

XIII. विधायक प्राथमिकता योजना प्रभागः

विधायक प्रभाग द्वारा वर्ष २०१७–१८ के दौरान निम्न कार्य निष्पादित किए गएः–

1 वर्ष 2017–18 के दौरान माननीय मुख्य मन्त्री की अध्यक्षता में सम्पन्न विधायक प्राथमिकताओं की बैठकों की कार्यवाही सभी सम्बन्धित विभागों को अनुवर्ती कार्यवाही हेतु प्रेषित की गई जिस पर विभागों से अनुवर्ती कार्यवाही प्राप्त होने के पश्चात् संकलित करके सभी माननीय विधायकों को उपलब्ध करवाई गई ।

2 वार्षिक बजट 2018–19 के लिए प्राथमिकताओं के निर्धारण हेतु मुख्य मन्त्री की अध्यक्षता में दिनांक 12 एवं 13 फरवरी, 2018 को माननीय विधायकों की बैठकों का आयोजन किया गया । बैठक में अर्धवार्षिक विधायक प्राथमिकता बैठकों की समीक्षा करने का भी निर्णय लिया गया है। 3 प्रदेश सरकार की अनुमोदित नीति के अनुरूप विधायकों द्वारा तीन विकास शीर्षो सड़क, ग्रामीण पेयजल एवं लघु सिंचाई के अन्तर्गत दो-दो प्राथमिकताओं की योजनाएं नई एवं चालू योजनाओं के अन्तर्गत बजट में शामिल करने के लिए दी जाती हैं । इस प्रकार प्रत्येक विधायक की 6 नई एवं 6 चालू योजनाएं बजट में सम्मिलित की जाती हैं । प्रत्येक विधायक को यह छूट होती है कि वह सभी 6 योजनाएं किसी एक ही विकास शीर्ष अथवा दो विकास शीर्षो या तीनों विकास शीर्षो में प्रस्तावित कर सकते हैं। उपरोक्त के अनुरूप माननीय विधायकों से प्राथमिकताएं प्राप्त होने के उपरान्त संकलित की जाई । संकलित प्राथमिकताओं को "नव व्यय अनुसूची के परिशिष्ट (योजना) माननीय विधायकों द्वारा निर्दिष्ट प्राथमिकताएं वर्ष 2018–19", के रूप में प्रकाशित किया गया। यह प्रकाशन राज्य के वार्षिक बजट का हिस्सा है ।

4 विधायक प्राथमिकताओं से सम्बन्धित कार्य गतिशील प्रवृति के होते हैं । वर्ष के दौरान विधायकों से योजनाओं में फेरबदल/प्रतिस्थापित करने के प्रस्ताव प्राप्त हुए । इन प्रस्तावों पर सरकार की अनुमोदित नीति के अनुरूप वॉछित कार्यवाही की गई। सम्बन्धित विभागों को विधायकों के प्रस्तावों पर उचित कार्यवाही के निर्देश दिए गए तथा सम्बन्धित विधायकों को भी फेरबदल/ प्रतिस्थापित की गई योजनाओं के सम्बन्ध में की गई कार्यवाही से सूचित किया गया ।

XIV. कम्पयूटर प्रभागः

कम्पयूटरीकरण आवश्यकताओं की विभाग में प्रतिपूर्ति तथा योजना आंकड़ों के एकत्रीकरण एवं सांख्यिकीय आंकड़ों के रख रखाव के लिए कम्पयूटर प्रभाग की स्थापना की गई है । योजना विभाग द्वारा तैयार किए जाने वाले सभी प्रकाशन रिपोर्टे पहले कम्पयूटर पर ही तैयार किए जाते हैं तथा उसके उपरान्त मुद्रण करवाया जाता है । यह प्रभाग, विभाग की सॉफटवेयर की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रभागों के निम्न सॉफटवेयर को विकसित करता रहता है :-

- 1. आर.आई.डी.एफ. का सॉफटवेयर / सुधार ।
- माननीय विधायकों की प्राथमिकता की स्कीमों के सॉफटवेयर का रूपान्तर/सुधार ।
- 3. स्टेट इनोवेशन कॉउंसिल सॉफटवेयर विकासित करना
- 4. वार्षिक योजना (2017–18) के दस्तावेज का कार्य ।
- ई-वेतन(हिमकोष) में विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन व बकाया वेतन भत्तों व अतिरिक्त मंहगाई भत्तों का कार्य।
- 6. माननीय विधायकों की स्कीमों को सॉफटवेयर के द्वारा Data Entry.
- 7. पिछड़ा क्षेत्र उप–योजना के बजट परिव्ययों का जिलावार एंव एस0ओ0ई0–वार आंवटन ।
- विभिन्न कार्याक्रमों/स्कीमों की मूल्यांकन अध्ययन रिपोर्टस ।
- 9. विभागीय अधिकारियों / कर्मचारियों की आयकर विवरणिकाओं को तैयार करने में सहायता के लिए सॉफटवेयर का रूपान्तर/सुधार ।
- 10. माननीय विधायकों के साथ योजना के सूत्रीकरण से सम्बन्धित बैठकों में लिए गए निर्णयों की अनुवर्ती कार्यवाही का कम्पयूटरीकरण करने तथा वर्ष 2017-18 के लिए माननीय

विधायकों द्वारा प्रेषित की गई प्राथमिकता वाली स्कीमों का बजट दस्तावेज तैयार करने में सहायता ।

- 11. विभाग की विभिन्न बैठकों के लिए Power Point Presentation.
- 12. 20-सूत्रीय कार्यक्रम त्रैमासिक रिपोर्टस ।
- 13. विभाग की Web site की maintenance/updation.
- 14. विभाग के सभी प्रभागों को वर्ष के दौरान कम्पयूटरीकरण से सम्बन्धित सभी प्रकार का सहयोग एवं सहायता प्रदान की गई।
- 15. ई-वितरण (हिमकोष) कार्य ।
- 16. ई-सर्विस बुक का कार्य ।
- 17. ए०सी०ए०/एस०पी०ए० केन्द्रीय सहायता (नीति आयोग)
- 18. संसद सदस्यों के सॉफटवेयर की मोनिटरिंग ।
- 19. विकेन्द्रीकृत योजनाओं के सोफटवेयर की मोनिटरिंग ।
- 20. ई-विधान का कार्य व मोनिटरिंग ।
- 21. राज्य वित्त आयोग के लिए सॉफटवेयर ।

3.3. जिला कार्यालयः

प्रदेश के सभी 10 गैर–जनजातीय जिलों में जिला योजना कक्षों की स्थापना की जा चुकी है। जिला योजना कक्ष जिला स्तर पर सम्बन्धित उपायुक्तों के नियंत्रण में कार्य कर रहे हैं। अतिरिक्त उपायुकत/अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट को मुख्य योजना अधिकारी घोषित किया गया है । जिला योजना अधिकारी, जिला योजना कक्षों के मुखिया हैं । जिला योजना कक्षों को निम्न स्टाफ उपलब्ध करवाया गया है :–

- 1. जिला योजना अधिकारी
- 2. साख योजना अधिकारी
- 3. सहायक अनुसंधान अधिकारी
- 4. सांख्यिकीय सहायक
- 5. वरिष्ठ सहायक (जिला शिमला, मण्डी एवं कांगड़ा में दो-दो पद)
- आशुटंकक/कनिष्ठ कार्यालय सहायक (आई0टी0)
- ७. लिपिक
- ८. चपड़ासी

योजना विभाग द्वारा संचालित सभी विकेन्द्रीकृत कार्यक्रमों जैसे कि विकास में जन सहयोग, क्षेत्रीय विकेन्द्रीकृत नियोजन, विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना, मुख्यमन्त्री ग्राम पथ योजना, सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास निधि, पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना तथा जिला ईनोवेशन फंड इत्यादि को जिला स्तर पर जिला योजना कक्षों के माध्यम से निष्पादित किया जा रहा है। डसके अतिरिक्त मुख्यालय द्वारा किए जाने वाले विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के मूल्यांकन अध्ययन का कार्य एवं अन्य कार्य भी जिला योजना कक्षों के माध्यम से किये जा रहे हैं । जिला स्तर पर समिति की योजना. विकास एवं २०–सूत्रीय कार्यक्रम समीक्षा त्रैमासिक बैठकों में सभी योजना कार्यक्रमों की समीक्षा एवं अनुश्रवण का कार्य भी जिला योजना कक्ष कर रहे हैं । जिला स्तर पर जिला योजना कक्ष, राज्य सरकार के विकेन्द्रीकृत योजना प्रक्रिया के उद्देश्यों को प्राप्त में अत्यधिक महत्वपूर्ण साबित हुए हैं । जिला योजना अधिकारी करने जिला स्तर पर विभाग का जन सूचना अधिकारी है । प्रदेश सरकार की विकेन्द्रीकृत नीति को प्रभावी ढंग से लागू करने के सम्बन्ध में जिला योजना कक्षों की स्थापना बहुत उपयोगी सिद्ध हुई है ।

सूचना का अधिकार अधिनियम–२००५ के तहत उप–नियम 4(1) (बी) के अन्तर्गत सूचनाः

(i)	विभाग के कार्य एवं कर्त्तव्य	कृपया मद् 'पृष्ठभूमि एवं परिचय' तथा 'संगठनात्मक ढांचा' का अवलोकन करें ।
(ii)	अधिकारियेां एवं कर्मचारियों की शक्तियाँ एवं डियूटी।	
		संयुक्त निदेशक (योजना) संयुक्त निदेशक कार्यालय अध्यक्ष के रूप में कार्य करते है । वह सलाहकार (योजना) के साथ विभिन्न दायित्व निवर्हन एवं कार्य जैसे क्षेत्रीय एवं जिला नियोजन, ई०ए०पी०, कौशल विकास एवं समय–समय पर नीति आयोग भारत सरकार द्वारा प्रदत्त कार्यों के निष्पादन में कड़ी के रूप में कार्य करते है।
		<u>उप-निदेशक (योजना)</u> सभी उप-निदेशक विभाग के विभिन्न प्रभागों जैसे कि योजना प्रारूपण, योजना कार्यान्वयन, नाबाई, मूल्यांकन, जन-शक्ति एवं रोजगार, कम्पयूटरीकरण, पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना, आर.एफ.डी., इत्यादि के नियन्त्रक हैं । समस्त उप-निदेशक विभाग की विभिन्न गतिविधियों एवं दायित्वों के निर्वहन हेतु सलाहकार (योजना) की सहायता/सहयोग करते हैं ।
		अनुसंधान अधिकारी/ जिला योजना अधिकारी विभाग के विभिन्न प्रभागों के नियन्त्रण में उप-निदेशकों की सहायता करते हैं । सभी नस्तियां उनके माध्यम से उप-निदेशकों को भेजी जाती है । जिला योजना अधिकारियों को उपलब्ध करवाया गया स्टाफ एवं उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों का उल्लेख मद्-3.3. ''जिला कार्यालय'' में किया गया है ।
		सहायक अनुसंधान अधिकारी विभिन्न कार्यों, प्रस्तावों एवं पत्राचार अभिमत के उपरान्त अनुसंधान अधिकारियेां को आगामी उच्च स्तर का निर्णय लेने के लिए प्रस्तुत करते हैं ।

सांख्यिकीय सहायक विभिन्न कार्यो, प्रस्तावों एवं पत्राचार अभिमत के उपरान्त अनुसंधान अधिकारियों को आगामी उच्च स्तर का निर्णय लेने के लिए प्रस्तुत करते हैं ।
गणक
विभाग के विभिन्न प्रभागों में कार्यरत हैं तथा अनुसंधान अधिकारियों द्वारा जो कार्य उन्हें सौंपे जाते हैं उनका निष्पादन करते हैं ।
प्रणाली विश्लेषक प्रणाली विश्लेषक कम्पयूटर कक्ष के प्रभारी हैं । वह योजना विभाग के कम्पयूटरीकरण के कार्य, जैसे कि सॉफटवेयर तैयार करना, इत्यादि म महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है।
प्रोग्रामर प्रोग्रामर योजना विभाग के कम्पयूटरीकरण के कार्य, जैसे कि सॉफटवेयर तैयार करना, इत्यादि में प्रणाली विश्लेषक की सहायता करते हैं।
कार्यकम योजना अधिकारी कार्यकम योजना अधिकारी विभाग में कम्पयूटरीकरण के कार्य, जैसे कि सॉफटवेयर तैयार करने में प्रणाली विश्लेषक व प्रोग्प्रमर की सहायता करते हैं ।
संगणक संचालक गणक संचालक विभाग में कम्पयूटीरकरण के कार्य को सुचारू रूप से चलाने हेतु कार्यक्रम योजना अधिकारी/ प्रोग्रामर तथा विभिन्न प्रभागों की सहायता करते हैं ।
<u>अधीक्षक ग्रेड–।</u> अधीक्षक वर्ग–1 योजना विभाग के प्रशासनिक कक्ष के समस्त प्रशासनिक कार्यों को निष्पादित करते हैं । प्रशासन प्रभाग की सभी नस्तियाँ प्रशासनिक प्रस्तावों सहित अधीक्षक वर्ग–11 अधीक्षक वर्ग–1के माध्यम से उच्च स्तर पर निर्णय हेतु प्रस्तुत करते हैं ।
<mark>अधीक्षक ग्रेड–।।</mark> अधीक्षक ग्रेड–११ प्रशासन कक्ष में कार्यरत्त सभी कर्मचारियों के कार्यों पर नजर रखते है, तथा प्रशासन कक्ष के सभी सहायक अपनी–अपनी नस्तियां प्रशासनिक प्रस्तावों सहित

अधीक्षक वर्ग–१ को आगामी निर्णय हेतु अधीक्षक वर्ग–११ के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं ।
वरिष्ठ सहायक/ कनिष्ठ सहायक विभाग की स्थापना से सम्बन्धित मामलों को अधीक्षक वर्ग–11 के माध्यम से उच्च स्तर पर अन्तिम निर्णय हेतु प्रस्तुत करते हैं।
लिपिक यह प्रशासन प्रभाग में कार्यरत हैं तथा अधीक्षक वर्ग-1 आहरण एवं विरतण अधिकारी / अधीक्षक वर्ग-11 द्वारा सौंपे गए कार्यो का निष्पादन करते हैं । कनिष्ठ कार्यालय सहायक (सू०प्रौ०) विभाग के विभिन्न प्रभागों में कार्यरत हैं तथा अधिकारियों द्वारा जो कार्य उन्हें सौंपे जाते हैं उनका निष्पादन करते हैं ।
निजि सचिव/निजि सहायक/वरिष्ठ आशुलिपिक/कनिष्ठ आशुलिपिक ये कर्मचारी विभागाध्यक्ष, संयुक्त निदेशक एवं उप-निदेशकों के साथ श्रुतलेख/टंकण कार्य/टैलीफोन काल सुनने के लिए कार्यरत हैं तथा विभाग की गोपनीय किस्म की नस्तियों एवं अभिलेखों का रख-रखाव करते हैं ।
<u>आशु-टंकक</u> जिला योजना अधिकारियों के साथ श्रुतलेख/टंकण कार्य/टैलीफोन काल सुनने / इत्यादि काार्यों के लिए कार्यरत हैं । जिला योजना अधिकारियों द्वारा सौंपे गए सभी प्रकार के कार्य करते हैं । <u>प्रतिलिपि यन्त्र चालक</u> विभाग की फोटोस्टेट मशीनों का संचालन करते हैं ।
चपड़ासी विभाग की डाक, नस्तियों को लाना व ले जाना, टेबल इत्यादि की सफाई तथा कार्यालय मेनुअल के अनुरूप कार्य करते हैं।
चौकीदार/जमादार विभाग के सभी कमरों पर प्रतिदिन सायं छुट्टी के उपरान्त निगरानी/देखरेख रखते है ।
सफाई कर्मचारी विभाग के कमरों, वरामदों, शौचालयों एवं वास वेशनेां की सफाई हेतु नियुक्त हैं ।

(iii) (iv)	प्रतिबद्धता एवं परिवेक्षण हेतु निर्णय प्रकिया के लिए अपनाई गई विधि एवं माध्यम कार्य निष्पादन हेतु मापदण्ड	सभी शक्तियां निहित हैं । विभाग के विभिन्न अधिकारी विभागीय कार्यों को निपटाने एवं उचित निर्णय लेने हेतु	
(v)		विभाग में प्रयोग किए जा रहे नियमों–विनियमों, निर्देशों नियमावली का संक्षिप्त विवरण निम्न है:– 1. सी.सी.एस. लीव रूलज,1972 2. सी.सी.एस. (सी.सी.ए) रूलज 3. एच.पी.एफ.आर रूलज 4. एच.पी.एफ.आर एण्ड एस आर रूलज 5. मैडिकल एटैन्डेंस सुविधा नियम	
(vi)	दस्तावेजों का विवरण जोकि विभाग में हैं या इसके नियन्त्रण में हों।		
--------	---	---	
(vii)	किसी नीति को बनाने या कार्यान्वित करने हेतु लोक सदस्यों के साथ विचार-विमर्श के सम्बन्ध में कोई विवरण हो तो ।	गैर-सरकारी सदस्य समितियों की बैठकों में सरकार की	
(viii)	कमेटियां एवं अन्य निकाय/ सभाओं का गठन जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति परामर्श हेतु शामिल हों तथा इनकी बैठकें लोगों के लिए	20-सूत्रीय कार्यक्रम समीक्षा समितियां । 3. राज्य स्तरीय रोजगार सृजन एवं संसाधन जुटाव समिति इन बोर्ड/कमेटियों की बैठकें आम लोगों के लिए खुली नहीं होती हैं फिर भी आवेदन करने पर बैठकों की कार्यवाही रिपोर्ट	
(ix)	विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियेां की निर्देशिका ।	कृपया मद्– ' 2. योजना विभाग–स्टाफ स्थिति' का अवलोकन करें	

()	н. д	
(x)		सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित वेतनमानों के आधार
		पर सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को वेतन एवं भत्ते प्रदान जिन्म नमने भैं
	जाने वाला मासिक	ומיני שות ג ו
	परिश्रमिक तथा	
	नियम प्रणाली ।	
(xi)	प्रत्येक एजैंन्सी का	
	बजट आवंटन जिसमें	ι J
	सभी योजनाओं का	
	विवरण तथा व्यय	-
	प्रस्ताव एवं आहरण	
	का रिपाट जा बनता है ।	इत्यादि का विस्तृत उल्लेख सम्बन्धित प्रभागों के विवरण में
	δI	किया जा चुका है।
	रातित कार्यकर्मो के	विभाग द्वारा सीधे तौर पर कोई उपदान कार्यकर्मो का निष्पादन
(xii)		नहीं किया जता। है ।
	जिसमें लाभभोगियों	
	का विवरण धनराशि	
	सहित ।	
(xiii)	रियायतों के पात्रों	लाग नहीं है ।
	का विवरण ।	
(xiv)	इलैक्ट्रानिक्स तरीके	विभाग की वैवसाईट बनाई गई है । विभिन्न कार्यक्रमों से
	से सूचना उपलब्धता	
	बारे ।	www.hp planning.nic.in पर उपलब्ध है।
(xv)	लोगों/नागरिकों की	विभाग के मुख्यालय एवं जिलों से सम्बन्धित कोई भी सूचना
		विभाग के कार्यालयों से 10.00 से 5.00 बजे सायं तक,
	सूचना प्राप्त करने	रविवार एवं सार्वजनिक अवकाश को छोड़कर, प्राप्त की जा
	हेतु लाईव्रेरी या	सकती है ।
	वाचनालय का	
	प्रावधान हो तो	
	उसका विवरण	
	जिसमें समय का	
	विवरण भी हो ।	
(xvi)	लोक सूचना	सूचना नीचे अलग से दी गई है ।
	अधिकारियों के	
	पद–नाम एवं	
	विवरण।	~ <u>~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~</u>
(xvii)	ऐसी अन्य कोई	लागू नहा ह ।
	सूचना हो तथा हर	
	वर्षे अपडेट की	
	जानी हो ।	

योजना विभाग, हिमाचल प्रदेश के सहायक लोक सूचना अधिकारियों, लोक सूचना अधिकारियों एवं अपील प्राधिकारी का विवरण ।

क म सं0	प्राधिकारी का नाम (जैसे कि सहायक लोक सूचना अधिकारियों, लोक सूचना अधिकारियों एवं अपील प्राधिकारी)	पदनाम	पता दूरभाष सहित	क्षेत्राधिकार / युनिट जिसके अन्तर्गत उनके नियन्त्रण में प्रार्थी को सूचना देनी अपेक्षित है
1.	2.	3.	4.	5.
(क) सचिवालय स			
1.	श्री रिखी राम लोक सूचना अधिकारी	उप सचिव (योजना) हिमाचल प्रदेश सरकार		सचिवालय स्तर पर योजना विभाग
2.	डॉ० श्रीकान्त बाल्दी अपील प्राधिकारी	अतिरिक्त मुख्य सचिव, (योजना), हिमाचल प्रदेश सरकार	हि०प्र० सचिवालय,	सचिवालय स्तर पर योजना विभाग
अधि अन्त		05 (एक्ट नं. 22)5 दिनांक २७–०६– ऑफ २००५) के सैव	•••
<u>(</u> 1.) राज्य रसार प श्री दिवान चन्द लोक सूचना अधिकारी	८ अधीक्षक ग्रेड–I	योजना भवन, हि०प्र० सचिवालय, शिमला-२ दूरभाष नं. २६२९४७७१	राज्य स्तर पर योजना विभाग
2.	श्री भाग सिंह ठाकुर, सहायक लोक सूचना अधिकारी	अधीक्षक ग्रेड–II	योजना भवन, हि0प्र0 सचिवालय, शिमला-2 दूरभाष नं. 2880371	राज्य स्तर पर योजना विभाग
3.	डॉ बसु सूद, अपील प्राधिकारी	सलाहकार (योजना)	योजना भवन, हि0प्र0 सचिवालय, शिमला-2 दूरभाष नं. २६२१६९८	राज्य स्तर पर योजना विभाग
	सूचना संख्याः पीएलर्ज कार, अधिनियम २००		दिनांक २२-१२-२०० खं ९ के अन्तर्गत ।	५ सूचना का

कम सं0	प्राधिकारी का नाम (जैसे कि सहायक लोक सूचना अधिकारियों, लोक सूचना अधिकारियों एवं अपील प्राधिकारी)	पदनाम	पता दूरभाष सहित	क्षेत्राधिकार / युनिट जिसके अन्तर्गत उनके नियन्त्रण में प्रार्थी को सूचना देनी अपेक्षित है
(ग) जिला				
1.	श्री तारा चन्द चौहान, लोक सूचना अधिकारी	जिला योजना अधिकारी	जिला योजना कक्ष, उपायुक्त कार्यालय शिमला दूरभाष नं.0177-2808399	सम्बन्धित जिला
2.	श्री प्रदीप कुमार पुर्टा, लोक सूचना अधिकारी	जिला योजना अधिकारी	जिला योजना कक्ष, उपायुक्त कार्यालय सोलन दूरभाष नं.01792-220697	सम्बन्धित जिला
3.	श्री अनुज कुमार, लोक सूचना अधिकारी	जिला योजना अधिकारी	जिला योजना कक्ष, उपायुक्त कार्यालय जिला सिरमौर स्थित नाहन दूरभाष नं.01702-223008	सम्बन्धित जिला
4.	श्री गौतम चन्द, लोक सूचना अधिकारी	जिला योजना अधिकारी	जिला योजना कक्ष, उपायुक्त कार्यालय चम्बा दूरभाष नं.01975-226057	सम्बन्धित जिला
5.	श्री रविन्द्र कटोच, लोक सूचना अधिकारी	जिला योजना अधिकारी	जिला योजना कक्ष, उपायुक्त कार्यालय कांगड़ा रिथत धर्मशाला दूरभाष नं 01892-223316	सम्बन्धित जिला
6.	श्री कुलदीप सिंह लोक सूचना अधिकारी	जिला योजना अधिकारी	जिला योजना कक्ष, उपायुक्त कार्यालय मन्डी दूरभाष नं.01905-225212	सम्बन्धित जिला
7.	श्री विनोद कुमार लोक सूचना अधिकारी	जिला योजना अधिकारी	जिला योजना कक्ष, उपायुक्त कार्यालय ऊना दूरभाष नं.01899-226166	सम्बन्धित जिला
8.	श्रीमती मुक्ता ठाकुर, लोक सूचना अधिकारी	जिला योजना अधिकारी	जिला योजना कक्ष, उपायुक्त कार्यालय बिलासपुर दूरभाष नं.01978-222668	सम्बन्धित जिला
9.	श्री तेज सिंह ठाकुर, लोक सूचना अधिकारी	जिला योजना अधिकारी	उपायुक्त कार्यालय कुल्लू दूरभाष नं.01902-222873	सम्बन्धित जिला
10	श्री संजय परमार लोक सूचना अधिकारी	जिला योजना अधिकारी	जिला योजना कक्ष, उपायुक्त कार्यालय हमीरपुर दूरभाष नं. 01972-222702	सम्बन्धित जिला
		.ए (3) 4/2005 शन 5 एवं 9 के	दिनांक २२-१२-२००५ सूच अन्तर्गत । *****	वना का अधिकार,

*	*	*	*	*	

(FOR OFFICE USE ONLY)



ANNUAL GENERAL ADMINISTRATIVE

REPORT

2017-2018

Planning Department Government of Himachal Pradesh Shimla-171002

CONTENTS

Sr. No.	Subject	Page No.
1.	BACKGROUND AND INTRODUCTION	1
2.	STAFF POSITION – PLANNING DEPARTMENT	1-2
3.	ORGANIZATIONAL STRUCTURE	2
3.1.	STATE PLANNING BOARD	2-4
	HEADQUARTERS	4
	(I) Administration Division	5
	(II) Plan Formulation Division	5-6
	(III) Plan Implementation Division	6-8
	(IV) Backward Area Sub Plan (BASP) Division	8-9
	(V) Regional & District Planning Division	10-15
	(VI) Manpower and Employment Division	15-16
3.2.	(VII) Externally Aided Project (EAP)/Innovation Division	16-20
	(VIII) Skill Development	21
	(IX) NABARD – RIDF Division	21-25
	(X) 20-Point Programme-2006 Division	25-27
	(XI) Railway Division	27-28
	(XII) Evaluation Division	28-29
	(XIII) MLA Priority Division	29
	(XIV) Computerization Division	30
3.3.	DISTRICT OFFICES	31
4.	INFORMATION OF RTI ACT-2005	32-40

1. BACKGROUND AND INTRODUCTION:

The State Planning Department has been mandated to formulate Five Year and Annual Plans, determine the State Plan priorities, fixing of plan size, earmarking of funds for various schemes, etc. The other activities consist of Project Appraisal of Externally Aided Projects, Implementations of scheme under RIDF funded by NABARD, Monitoring of Plan Schemes, Decentralization of Planning process, Evaluation of Schemes, Man Power Planning, Implementation of Backward Area Sub-Plan, Review of 20-Point Programme, works related to construction of rail lines and allied works in HP, etc.

Sr.	Category	Sanctioned	Filled-	Vacant
No.	Category	Posts	up	vacant
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Chairman Employment Generation & Resources Mobilization	1	1	0
2.	Chairman (20 Point Programme)	1	1	0
3.	Dy. Chairman, State Planning Board	1	1	0
4.	Adviser (Planning)	1	1	0
5.	Joint Director	1	1	0
6.	Deputy Directors	6	5	1
7.	Research Officers / District Planning Officers	21	20	1
8.	Credit Planning Officers	10	10	0
9.	Assistant Research Officer	17	15	2
10.	Statistical Assistant	21	10	11
11.	Computer	6	4	2
12.	System Analyst	1	1	0
13.	Programmer	1	1	0
14.	Programme Planning Officer	1	1	0
15.	Computer Operators	1	0	1
16.	Private Secretary	1	1	0
17.	Personal Assistant	2	1	1
18.	Senior Scale Stenographer	1	1	0
19.	Junior Scale Stenos	6	6	0
20.	Steno-Typists	3	3	0
21.	Junior Office Assistant(9 against Steno & 2 against Clerk)	11	11	0
22.	Superintendent Grade-I.	1	1	0
23.	Superintendent Grade-II.	2	2	0
24.	Senior Assistant	16	15	1
25.	Junior Assistant	1	0	1

2. STAFF POSITION - PLANNING DEPARTMENT:

1.	2.	3.	4.	5.
26.	Clerk	13	12	1
27.	DMO	1	1	0
28.	Driver	5	5	0
29.	Peons	20	17	3
30.	Chowkidar	1	0	1
31.	Frash	1	1	0
32.	Jamadar	1	1	0
33.	Sweeper	1	1	0
	TOTAL	177	151	26

*: Pay and allowances of Deputy Chairman, State Planning Board and Chairman, Twenty Point Programme are decided by the State Government at the time of their nomination.

33. ORGANISATIONAL STRUCTURE:

The organizational structure of Planning Department consists of following three tiers:-

3.1. State Planning Board.

3.2. Headquarters.

3.3. District Offices.

3.1. STATE PLANNING BOARD:

State Planning Board was reconstituted by nominating official and non-official members on 12th Feb., 2013.

I. Composition:

(i) Chairman: Chief Minister

(ii) Non-official Members:

- 1. All Cabinet Ministers
- 2. All MPs (Lok Sabha and Rajya Sabha) (Notified separately)
- 3. One Representative each of Farmers, Industrialists Trade- SC, ST, OBC, Women (Notified separately)
- 4. Former MPs / MLAs and sitting MLAs (Notified separately)
- 5. Ex-Chief Secretaries/ Retd. Government Officers of key departments (Notified separately)

(iii) Official Members:

- 1. Chief Secretary,
- 2. All Administrative Secretaries
- 3. All Vice-Chancellors of Universities in Himachal Pradesh

(iv) Ex-officio Members:

- 1. President, HP Committee, PHD Chamber of Commerce & Industries
- 2. Officer-in-Charge of Regional Office, NABARD, Himachal Pradesh

(v) Member Secretary : Adviser (Planning)

II. Terms of Appointment: As may be prescribed by the Govt. of H.P. from time to time.

III. Headquarters of the Board:

The Headquarters of the State Planning Board will be in Shimla. The Board may, however, meet at any other place as and when considered necessary.

IV. Functions:

The functions of the Board are as under:-

- To determine the Plan priorities for State in the light of overall National objectives.
- To assess the man-power and financial resources and their organizational and institutional capabilities.
- To assess the level of development in important sectors for the State as a whole as well as for various districts and regions.
- In the light of above, formulate a long term perspective plan for the most effective and balanced utilization of State resources.
- To assist the State Government in the formulation of the five year plans and annual plans and evolve a short term strategy (Five Year Plan) for planned development after examination of different approaches so as to achieve maximum growth rate keeping in view Social justice.
- To identify factors which tend to retard the economic and social development of the State and determine conditions to be established for successful execution of the plan.
- To suggest policies and programmes for removing the imbalances prevailing in various regions in the State and to assist in the formulation of the district plans/area Plans.
- To review the progress of implementation of the plan programmes and recommend such adjustments in policies and measures as the review may indicate.

- To make critical appraisal of on-going programmes leading to a determination of the extent to which some of the identified on-going programmes of projects would need to be continued.
- To review the implementation of plan projects and other development schemes.
- To advise on the problem of unemployment and suggest ways and means for tackling it.
- To advise on such other matters connected with the economic development as may be assigned by the State Government.
- To make such interim or ancillary recommendations as appear to it to be appropriate for facilitating the discharge of duties assigned or on a consideration of the prevailing economic conditions, current policies, measures and development programmes or an examination of such specific problems as may be referred to it for advice by the State Government.
- To collect and analyse information/data regarding Plan schemes.
- To review the working of Government Corporations, Boards and suggest means for their improvement.
- To highlight difficulties being faced in the implementation of the plan schemes at district level and suggestions to over come them.
- To evaluate various projects/corporations according to the directions of Chairman.

State Annual Plan size amounting to Rs. 5700.00 crore for the year 2017-18was discussed and approved.

3.2. HEADQUARTERS:

According to the rule of business, following is the structure of Planning Department for transaction of official business:-

1.	Minister – In charge	Hon'ble Chief Minister, HP.
2.	Administrative Secretary	Addl. Chief Secretary (Planning) to the
		GoHP.
3.	Head of Department	Adviser (Planning) HP.

Adviser (Planning) is the Head of the Department. The various divisions viz. Plan Formulation, Project Formulation, Plan Implementation, Computerization, Evaluation, Manpower & Employment, Administration, Regional & District Planning, Backward Area Sub-Plan, Railways and Twenty Point Programme are functioning under the control of Adviser (Planning). These divisions are headed by Joint Director / Deputy Directors. Joint Director / Deputy Director functions as Head of Office. The Division-wise details of goals, objectives, programmes, allocation, expenditure, etc. are given below:-

I. ADMINISTRATION DIVISION:

The Administration Division functions under the control of Joint Director (Administration).

The Administration Division does routine Administrative and Personnel Management and other related works such as recruitment, promotion, confirmation, transfers / postings, disciplinary actions / proceedings, budget, accounts, reply of audit / CAG / PAC paras, store & stock and other miscellaneous works assigned to it. During the year under report, the Administrative Division of the department has performed the above mentioned works / duties.

II. PLAN FORMULATION DIVISION:

1. Preparation of State's Draft Annual Plan (2018-19) Document

- A new online software have been prepared by the National Informatic Centre for plan proposals in the month of Septmber,2017 and online plan proposal was invited from all the departments.
- A series of meetings with concerned departments were held in the month of November-December, 2017 under the Chairmanship of Additional Chief Secretary (Planning) to discuss the plan priorities of the departments for Annual Plan (2018-19).
- After the detailed discussions Annual Plan Size for the year 2018-19 were firmed up and the Head of Development wise plan outlays alongwith specific earmarkings have been conveyed online to all the heads of department for preparation of scheme wise budget for the year 2018-19. After scrutinizing the scheme wise plan proposals as entered by the department through online, the same was conveyed to the Finance department for inclusion in the budget (Demand for Grants) for the year 2018-19.
- Draft Annual Plan (2018-19) document was prepared by proposing a plan size of Rs. 6300 crore for the meeting of State Planning Board for its approval which was held on 21st February, 2018. The same has also been passed by the State Legislature. The Sector –wise break up is given as under:-

		(Rs. in Crore)
Sr. No.	Sector	Annual Plan (2018-19) Proposed Outlay
1.	2.	3.
1.	Agriculture and Allied Activities	843.88
2.	Rural Development	127.92
3.	Special Area Programme	27.78
4.	Irrigation & Flood Control	430.85
5.	Energy	682.70
6.	Industry and Minerals	113.76
7.	Transport & Communication	1094.89
8.	Science, Technology & Environment	16.89
9.	General Economic Services	284.97
10.	Social Services	2548.66
11.	General Services	127.70
	Total :	6300.00

2. State Planning Board: The State Planning Board was re-constituted and a meeting was convened on 21st February, 2018 under the Chairmanship of Hon'ble Chief Minister to approve the Draft Annual Plan 2018-19.

III. PLAN IMPLEMENTATION DIVISION:

After passing of budget from Vidhan Sabha, the implementation of plan budget starts in following ways: -

- 1. This division examines proposals of diversion and re-appropriation received from different departments thoroughly. Keeping in view the importance and priorities of the cases, diversions/ re-appropriations are permitted.
- 2. Additionalities are provided from those Schemes/Heads, which have the possibility of low intensity of expenditure. A cut is imposed on such schemes in order to provide additionalities in other schemes, which are of utmost importance.
- 3. This division also arranges meetings with concerned departments to sort out matters of additionalities to dispose-off cases promptly.
- 4. During the period under report, proposals on diversions and reappropriations were called from all departments through concerned Administrative Departments (ADs) in respect of Earmarked & Nonearmarked Sectors for scrutiny and examination.
- 5. During the year under report, 549 references from different departments for obtaining advice on their departmental files had been received and were examined, processed and suitably advised after obtaining prior approval of the competent authority.
- 6. To smoothen Plan Implementation in consonance with budget, the entire plan has been linked with budget through software for this purpose.

In addition to this, following activities were undertaken by the Plan Implementation during the period under reference:-

1. <u>Quarterly Budget Allocation:-</u>

Quarterly Budget Authorization for the year 2017-18 was given to all departments under general plan outlay and physical and financial progress reports were collected/ compiled from the departments.

Following quarter-wise norms for Plan expenditure have been fixed:-

Quarters	Plan Expenditure (%)
First	20%

Second	25%
Third	30%
Fourth	25%
Total	100%

2. Budget Assurances:

This Division has reviewed the progress of Implementation of Budget Assurances given during the Budget Speech for 2017-18. The information from all implementing departments was collected and compiled.

3. Pending issues with Government of India:

Pending issues with Government of India is a compilation of the important matters / issues which are pending with GoI. Important issues were uploaded in software developed by Cabinet Secretariat regularly for follow up through e-Samiksha.

4. Centrally Sponsored Schemes:

Centrally Sponsored Schemes have a very important place in the economy of the State as these schemes supplement the State's resources. At present various Centrally Sponsored Schemes either 100% or shared in some ratio between Centre and State are in progress. This Division had advised the implementing departments on financial implications of CSS and their counterpart state provisions in plan.

5. Human Development Towards Bridging Inequalities (HDBI) Project:

As per the action plan of the Human Development Towards Bridging Inequalities (HDBI) Project, four studies were outsourced to independent agencies:-

- 1. Study to assess the Human Development for inclusive and Sustainable Green Growth in Himachal Pradesh.
- 2. Study to explore the causes of Declining Sex Ratio in the age group of 0-6 years.
- 3. Financial Report Card on Human Development in Himachal Pradesh.
- 4. Study to assess the Socio-Economic Status of Gujjars in Himachal Pradesh.

Out of the four studies mentioned above, the two studies have been completed and report has also been published. The details of these studies are as under:-

- 1. Study to explore the causes of Declining Sex Ratio in the age group of 0-6 years
- 2. Study to assess the Human Development for inclusive and Sustainable Green Growth in Himachal Pradesh.

The remaining two studies have also been reviewed and are at final stage. The report will be published very soon. The title of these studies is as under:-

- 1. Study to asses the Human Development for inclusive and Sustainable Green Growth.
- 2. Financial Report Card on Human Development in Himachal Pradesh.

IV. BACKWARD AREA SUB-PLAN (BASP) DIVISION:

State Government has notified the Backward Area Sub Plan for identifying and mitigation of sub-regional disparities in development on various parameters. During 1995-96, H.P. Government had framed a comprehensive policy for backward areas which is being implemented since then in Himachal Pradesh. The salient features of the policy are as under:-

(a) The Backward Area Sub Plan comprises three categories:-

(**<u>i)</u> Backward Blocks**: All blocks having 50% or more than 50% declared Backward Panchayats have been declared as Backward Blocks. Presently, there are Eight Backward Blocks in the State having 304Backward Panchayats.

(ii) Contiguous Pockets: Group of five or more declared backward panchayats having geographical contiguity have been declared as Contiguous Pockets. There are fifteen Contiguous Pockets having 133 backward panchayats in the State.

(iii) Dispersed Panchayats: Other Panchayats which do not fall in the above mentioned categories (i) & (ii) have been declared as Dispersed Panchayats. There are 110 Dispersed Panchayats in the State.

- (b) Funds are earmarked for Backward Area Sub-Plan (BASP) under selected thirteen heads of development.
- (c) Both, beneficiaries and infrastructure development oriented approaches have been adopted in these areas.
- (d) The allocation of funds to districts is made in proportion to the total number of backward declared Panchayats of the district.

- (e) The Sub Plan is administered through Deputy Commissioners who can make need based diversions / re-appropriation with the approval of DPDC. Administrative and financial delegation has been given to the districts.
- (f) The Planning Department controls the Capital Heads only under BASP and Revenue Heads are operated by other concerned Departments.

There are 547 Panchayats declared as backward out of 3226 Panchayats in the State. A single Demand No-15 "Planning and Backward Area Sub Plan" has been created for separate budgetary arrangements for BASP. BASP enjoys sufficient degree of flexibility as District level Planning, Development and Twenty Point Programme Review Committee is fully authorized to decide priorities within the district. An outlay of Rs. 54.47 crore was kept for capital works under BASP for the year 2017-18 under Plan and an outlay of Rs. 59.45 crore has been provided under capital section for the year 2018-19 under BASP (Plan).

The District wise details of Backward Area Sub Plan 2017-18 outlay / expenditure of Capital Section and numbers of Backward declared Panchayats are as under:-

				(Rs. in lakh)
Sr. No.	District	Number of Backward		Γ & EXPENDITURE Capital Section)
		Declared Panchayats	Budget (Plan)	Tentative Expenditure (Plan)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Bilaspur	15	149.37	113.65
2.	Chamba	159	1583.31	1583.31
3.	Hamirpur	13	129.45	129.45
4.	Kangra	17	169.29	169.29
5.	Kullu	79	786.68	786.68
6.	Mandi	149	1483.73	1483.73
7.	Shimla	83	826.51	826.51
8.	Sirmour	26	258.91	258.91
9.	Solan	3	29.87	29.87
10.	Una	3	29.87	29.87
	TOTAL	547	5447.00	5411.28

V. REGIONAL & DISTRICT PLANNING DIVISION

For the implementation and monitoring of various Decentralized Planning Programmes, Regional and District Planning Division has been set up at in the Planning Department. Descriptions of the various activities of Decentralized Planning Programmes are given as under:-

1. Vikas Mein Jan Sahyog Programme (VMJS):

To ensure people's effective participation towards fulfilling their developmental needs in terms of providing basic infrastructure at the grass root level as well as to supplement Government's efforts/resources, the programme-Vikas Mein Jan Sahyog (VMJS) was introduced in the State from 1991-92. Under this programme, people's participation is on voluntary basis and through advance contribution in cash which is to be deposited in the Bank/Post Office accounts opened in the name of concerned Deputy Commissioner. A budget provision of Rs. 19.63 Crore was made under this programme for the financial year 2017-18. A budget provision of Rs. 21.59 Crore has been kept for the financial year 2018-19 under this scheme.

Salient features of this programme are given below:

- 1. In urban areas, cost sharing ratio between the Community and the Govt. is 50:50. While in case of Govt. assets like school buildings, health and veterinary institutions, construction of drinking water supply schemes and sewerage schemes and installation of hand pumps where the sharing pattern is in the ratio of 25:75 between Community and the Govt. This facility is only for creation of assets community and not for any family or a person/ individual assets.
- 2. In rural areas, cost sharing is in the ratio of 25:75 between Community and the Govt. However, in the case of tribal areas, panchayats declared as backward and areas predominantly inhabited by SCs, STs and OBCs, cost sharing is in the ratio of 15:85 between Community and the Govt.
- 3. Any individual can also get a public asset constructed either as a purely philanthropic nature or to commemorate the memory of his/her ancestors by sharing 50 percent cost of the work.
- 4. Works are required to be completed within one year from the date of sanction.
- 5. Community and the Govt. are liable to contribute 10% funds additionally of the cost of work for the maintenance of assets which are to be maintained.

- 6. All works beyond the estimated cost of Rs. 5.00 lakh are executed through the Government Departments and not by the societies/ local committees.
- 7. The execution of works up to Rs. 5.00 lakh are ensured under the supervision of the Assistant Engineer/ Junior Engineer of the Rural Development Department and the measurement of the work of each work done is entered in the measurement book of concerned Junior Engineer/ Technical Assistant of the area.

The projects/assets of the following nature can be sanctioned under this programme:

- ii) Construction of buildings of Govt. Educational Institutions.
- iii) Construction of multipurpose community/public assets.
- iv) Construction of motor-able roads and rope-ways.
- v) Construction of irrigation schemes/drinking water schemes/ installation of hand-pumps.
- vi) Construction of buildings of public health services.
- vii) Provision of important missing links; such as three phases transmission lines, transformers, X-Ray plants, Ambulances etc.
- viii) Setting up of Go-Sadan for stray animals.

2. Sectoral Decentralized Planning (SDP):

Sectoral Decentralized Planning Programme was started in the State during 1993-94. To maintain inter-regional development balance, distribution of funds made by the Planning Department on the basis of 60 percent weightage to population and 40 percent weightage to the area of the district as per 1981 Census. Under this programme, schemes of local needs and important missing links occurring in the budgetary allocations are mainly taken up for implementation. A budget provision of Rs 55.07 Crore was made under this programme in the financial year 2017-18. A budget provision of Rs. 60.68 Crore has been kept for the scheme during 2018-19.

Salient features of this programme are as under:

- 1. Under this programme schemes are sanctioned after seeking prior approval of the District-Level Planning, Development and 20-Point Programme Review Committee.
- 2. Only those developmental works should be considered for execution whose estimates and designs are technically approved by the competent Technical Authority / Personnel of Govt./ Semi Govt./ Govt. undertakings within the delegated technical powers. The Technical Officer / Authority, who can technically approve the estimates is competent to assess the work and authorize disbursement of payments.

- 3. The Deputy Commissioners are competent to accord A/A & E/S under SDP subject to the availability of budgetary provisions under selected heads of development and fulfillment of other requirements.
- 4. Under SDP, neither recurring expenditure / liability can be created nor bunching of sanctions and phasing of work beyond one financial year is allowed. Also, revision of estimates and revision of sanctions are not allowed.
- 5. The developmental works to be executed under SDP should lead to a community benefit which consists of at least five families. No works benefiting individuals/single family can be taken up under this programme.
- 6. Under SDP works sanctioned are required to be completed within the same financial year or within one year from the date of sanction. The phasing of work and financial sanction for more than one financial year is not permissible.

3. Vidhayak Keshetra Vikas Nidhi Yojana (VKVNY) :

To strengthen the decentralization process, the State Government has started a scheme **"Vidhayak Keshetra Vikas Nidhi Yojana"** from 1999-2000.This scheme was discontinued in the year, 2001-2002 but restarted in 2003-04 with a budget provision of Rs. 24.00 lakh per constituency. The State Government has been increasing budget provision under this scheme from year to year and a provision of Rs. 1.10 Crore per constituency was made in 2017-18. Now, it has been increased to Rs.1.25 Crore per constituency in the current financial year.

The implementation and monitoring of the scheme is done with the direct and active involvement of MLAs. The scheme has ensured balanced development of all areas in the state. A budget provision of Rs. 71.85 Crore was made under this programme in the financial year 2017-18. Budget provision of Rs. 81.65 Crore has been kept for this scheme during 2018-19.

The scheme/works of the following nature can be under-taken under this programme:-

- (1)Construction of rooms in Educational Institutions.
- (2)Construction of Ayurvedic Dispensaries, Veterinary Institutions & Health Sub- Centres etc.
- (3) Installation of Hand Pumps.
- (4)Construction of Motorable / Jeepable link roads in rural areas.
- (5)Construction of Community Bhawans which can be used for different institution or celebration at village level.

- (6)Provision of apparatus in Health Institutions which are not already available there such of as X-Ray Plants, Ultra Sound machines and ECG machine etc.
- (7)Purchase of Ambulance for Health Institutions subject to the condition that concerned institution/ department should have full provision for recurring expenditure on it.
- (8)Construction of small bridge/ culverts on rural roads and foot bridges on different khads, streams etc.
- (9)Construction of metalled rural paths (concrete based or black topped), on which two wheeler vehicles could be plied.
- (10) Water supply schemes for left out hamlets where there is necessity of public taps by providing additional pipes.
- (11) Irrigation schemes at local level.
- (12) Construction of Toilets in schools and construction of Public toilets & bathrooms in the bus stands.
- (13) Electrification of left out houses in remote/ rural areas (LT Extensions).
- (14) Maintenance of school buildings and construction of school play grounds.
- (15) Construction of Gym centre in Panchayats & urban areas.
- (16) Construction and maintenances of Bus Stands.
- (17) In rural and urban areas, maintenance of Government buildings such as Ayurvedic dispensaries, Veterinary dispensaries, Health Institutions, Community Bhawan, Education Institutions etc.
- (18) Repair and maintenance of roads in rural and urban areas.
- (19) WiFi facilities (Non-recurring expenditure).
- (20) Sanction of various facilities in public offices like sitting arrangements for students in the schools, sports kits/equipments in schools, beds and blankets in the hospitals, replacement of motor pumps of water supply and grant to Mahila Mandals for purchase of utensils (Maximum Rs. 20,000/- per Mahila Mandals) and furniture etc.

4. Mukhya Mantri Gram Path Yojana (MMGPY):

In order to provide connectivity to villages from nearby motorable roads, Kuchha Paths in rural areas are made Pucca. Besides this, construction of small culverts/ bridges for providing all weather connectivity to the people residing in far flung areas. The State Government has permitted construction of jeepable/tractorable link roads upto 2.00 km owing to hilly and difficult geographical areas. Mukhya Mantri Gram Path Yojna was launched during the year 2002-03 in the Pradesh for non-tribal areas. During the year 2004-05, this scheme was discontinued and was restarted in 2008-09. During 2015-16, a provision of Rs 5.50 Crore was made to Deputy Commissioners of 10 Non-Tribal Districts under this programme. A budget provision of Rs. 5.50 Crore has been made under this scheme in the financial year 2017-18. A budget provision of Rs. 5.50 Crore has been made for the scheme during 2018-19.

Salient features of this programme are given below:

- 1. Under this scheme, allocation of funds to the districts is made on the basis of total rural population and total number of inhabited villages in the district on 50:50 ratios as per 1991 census.
- 2. Under the programme neither recurring expenditure / liability can be created nor construction of kutcha path is allowed.
- 3. The works executed out of this scheme fund will be maintained by the concerned Panchayats from their own resources / revenue. Affidavit to this effect is to be obtained from the concerned Panchayats before the sanction of work.
- 4. Only those developmental works should be considered for execution where estimates and designs are technically approved by the Rural Development Department J.E./A.E./XEN according to their technical powers.
- 5. Under this programme the schemes / works to be implemented are to be approved by the District Level Planning, Development and 20-Point Programme Review Committee.
- 6. The works are to be completed within the sanctioned amount and no additional / revised sanction of funds will be allowed.
- 7. The road alignment should be got approved from the PWD, so that the Jeepable roads can be later on upgraded into normal Bus roads, as per the PWD norms.

5. Member Of Parliament Local Area Development Scheme (MPLADS):

Member of Parliament Local Area Development Scheme was started in 1993-94 by Govt. of India. Under this scheme, MPs recommend works of developmental nature to be taken up in their constituencies and also of national priorities viz. drinking water, primary education, public health, sanitation and roads, etc. The sanction orders are issued by the Deputy Commissioner. Rs 5.00 Crore per MP per annum is allowed to be released by Government of India for various works on the recommendations of the MP. Following Sector schemes are eligible under MPLADS.

- 1. Drinking Water Facility.
- 2. Education.
- 3. Electricity Facility.
- 4. Health & Family Welfare.
- 5. Irrigation Facilities.
- 6. Non Conventional Energy Sources.
- 7. Other Public Facilities.
- 8. Railways, Roads, Pathways and Bridges.
- 9. Sanitation and Public Health.

10.Sports.

- 11. Works relating to Animal Husbandry, Dairy and Fisheries.
- 12. Works relating to Agriculture.
- 13. Works relating to Cluster Development for Handloom Weavers.

14. Works relating to Urban Development.

VI. MANPOWER AND EMPLOYMENT DIVISION:

The following main tasks have been assigned and performed by Manpower and Employment Division

i) Fact Book On Manpower.

Manpower and Employment Planning is an integral part of development planning. It is imperative to build up a manpower information system at State level so as to cover various aspects of technical and educated manpower. Keeping in view the importance of this information system, Manpower Division of Planning Department, H.P. brings out a comprehensive compendium of manpower information and is assigned with the work relating to the collection, compilation and tabulation of data on manpower and brings out a publication **"Fact Book on Manpower"**.

The work relating to this publication is of continuous nature requiring periodic follow-up and revision. In this publication, data with statistical tables regarding population, manpower, employment, unemployment, training and health institutions, directly related to the training and employment is compiled.

ii) Employment Market Information Programme.

Under the Employment Market Information Programme, data is collected by the Manpower division from all the District/Regional Employment Exchanges of the State which are brought out annually in a report titled the "Quick Estimates of Employment in the Organized Sector". The data presented in this report covers the employment status of public and private sector establishments which existed at the end of each quarter.

VII. EXTERNALLY AIDED PROJECT (EAP) DIVISION:

Externally Aided Project (EAP) Division in the Planning Department has been assigned the task of analyzing the project proposals of different departments submitted for seeking funding from external agencies. These project proposals are examined keeping in view the technical, administrative, managerial and financial aspects in relation to the socio-economic coverage and overall resource position of the State. Besides this, the division also reviews and monitors progress of all the EAPs being implemented in the State. This division serves as single window for the different donors for identification, appraisal and feed back in respect of EAPs. Administrative Secretary (Planning), Government of HP has been declared as State Nodal Officer for all Externally Aided Projects (EAPs) in Himachal Pradesh. The progress of ongoing EAPs are obtained from implementing agencies on quarterly basis for ensuring its smooth implementation. Advices are given to the different departments in the context of new Externally Aided Project proposals.

The Guidelines received from various external aid agencies like World Bank, ADB, JICA, GIZ, AFD & KfW, NDB etc. and Government of India are circulated to the concerned departments to formulate the project proposals. Project proposals received from the departments are analyzed / appraised in the division keeping in view the Technical, Administrative, Managerial, Financial, Social & Economic parameters.

Sr.	Name of the Project	Donor	Nodal	Total Cost	Proje	ct Period	Remarks
No.		Agency	Department		Starting Date	Concluding Date	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	HP State Road Project	World Bank	Public Works	1802.84	Jul-07	Jun-16	Wrap-up activities
2	HP Mid Himalayan Watershed Development Project	World Bank	Forest	661.44	Oct-05	Mar-17	Wrap-up activities
3	Infrastructure Development Investment Programme for Tourism in HP	ADB	Tourism	428.22	2010	2020	
4	HP Crop Diversification Promotion Project	ЛСА	Agriculture	321	Jul-11	Mar-18	
5	HP Clean Energy Transmission Investment Program	ADB	Power	1927	Jan-12	Dec-18	
6	Power Projects	ADB	Power	6673.87	Nov-08	Jun-16	Extended period
	HP Forest Eco-System Climate Proofing Project	KfW	Forest	308.45	Apr-15	Mar-22	

Externally Aided Pro	jects implemented in	Himachal Pradesh	during 2017-18:
			8

(`in Crore)

8	HP Horticulture	World Bank	Horticulture	1134.00	Aug-16	Jul-23	
	Development Project						

Status of some new Externally Aided Projects:- Besides ongoing projects, following new projects have been/are being started at State level:

1. ADB assisted HP Skill Development Project:

Govt. of India has signed a USD 80 million (INR 512 crore) loan with ADB on 28th March, 2018 in New Delhi to help improve the Skills of youth in the State and modernizing Technical & Vocation Education and Training Institute (TVET). This project with estimated cost of USD 100 million (INR 640.00 crore) is expected to be completed by the end of 2022 and State Government will get 90% of the loan component as grant from GoI. This project will be implemented by HP Kaushal Vikas Nigam established under the administrative control of Planning Department.

Under this project, approximately 65000 youth of State will be given special Trainings as per the standards of National Skills Qualifications Framework (NSQF). This will help to establish basic institutional infrastructure where under one Polytechnic for Women, 6 City Livelihood Centres and 7 Rural Livelihood Centres will be established and 10 Employment Exchanges will be upgraded as Model Career Centres. These efforts of State Government will help in creating awareness among youth about TVET programmers, Modernization of Training Equipments, implementation of MIS, enhance partnership with private sector and creating market oriented training and livelihood opportunities for the youth of Himachal Pradesh. Under this project funding will be provided for long term and short term training programmes related to Automobiles, Electronics, Pharmaceuticals, Tourism & Hospitality, Banking and Financial Services and Health Care Sectors so that youth of the State could get employment opportunity as per their choice. A budget provision of Rs 1.40 crore was made for this project during 2017-18 alongwith additionality of Rs 6.00 crore issued in favour of this project in the same year. A budget provision of Rs 1.50 crore has been kept for this project for 2018-19.

2. Integrated Development project for Source Sustainability and Climate Resilient Rain-fed Agriculture (IDP): Designed to improve climate resilience around springs and streams agriculture in Himachal Pradesh, this project with estimated cost of USD 100 million (approx. INR 650.00 crore) has been accepted by the World Bank on 4th August 2017. 80% of this cost will be loan from WB and 20% will be borne by State Government as State share over a project period of 7 years from 2017 to 2024. The project is to be implemented through HP Natural Resource Management Society with headquarter at Solan and would be implemented in all the districts of Himachal

Pradesh except Kinnaur and Lahaul Spiti. A budget provision of Rs 35.00 crore has been kept for this project for 2018-19.

3. HP Forest Ecosystem Management & Livelihood Improvement Project:

The objective being to increase the forest cover and density for improved livelihoods of communities with a view to conserve forest & mountain ecosystem, this project is proposed to be implemented over a period of ten years in Bilaspur, Kinnaur, Kullu, Lahaul Spiti, Mandi and Shimla districts. Japan International Cooperation Agency (JICA) is funding this project of Rs 800.00 crore project with 80% of this cost as loan component (from JICA) and 20% counterpart funding by the State Government. The JICA study team is currently involved in intense survey work. The Project headquarter is in Shimla and sub – offices are in Kullu and Rampur. An additinality of Rs 1.00 crore has been issued in favour of this project during FY 2017-18. A budget provision of Rs 15.00 crore has been kept for this project for 2018-19.

4. **Himachal Pradesh: Forests for Prosperity Project:** Proposed to increase the economic contribution of Forests in the State's Economic Development, this project would be implemented in parts of Satluj catchment in Kinnaur, Mandi, Shimla, Kullu and Bilaspur districts with pilot activities at four locations outside these districts over a period of 5 years. Total outlay of this project is \$100 million (INR 665.28 crore) out of which USD 80 million (80%) will be loan from World Bank and USD20 million (20%) as State share. As per the Aide Memoire issued by World Bank, the loan Agreement is expected to be signed in 2018 and expenses on agreed activities upto 20% of project cost in the previous year would be reimbursable retro-actively. The project headquarter is in Una and sub – offices are at Dharamshala and Shimla. An additinality of Rs 4.12 crore has been issued in favour of this project during CFY 2017-18. A budget provision of Rs 50.00 crore has been kept for this project for 2018-19.

5. Himachal Pradesh Rural Water Supply Project: This project of State Government amounting to USD 100 million will be financed through loan of USD 80 million (80% of project cost) from New Development Bank (NDB) of BRICS and USD 20 million (20% of project cost) counterpart funding by State Government and will cover 18 rural water supply schemes to provide water facility to left-out/partially covered habitations in rural areas in the State of HP. A budget provision of Rs 10.00 crore has been kept for this project for 2018-19.

Some other projects of Urban Sector related to sewerage system & solid Waste processing plants & development of land fill sites etc. are also in the pipeline for negotiations with the GoI and donor agencies at various stages and are likely to be started in near future.

Innovation at State Level:

With the pledge to transform Himachal Pradesh into an Innovative State and to promote innovation through sharing of experiences across various sectors within State and to encourage departments to try new initiatives, following initiatives are being taken by State Government:

State Innovation Council (SInC) - Apex Body for promotion of Innovation at State level - State Government constituted HP State Innovation Council in 2011 under the Chairpersonship of Chief Secretary, Government of Himachal Pradesh giving representation to major departments, technical institutes & universities of the State as an apex body to institutionalize the innovative processes & practices by providing a common platform for local talents, competencies, resources & capabilities.

To pave further the way of innovative ideas, council has further adopted *two pronged strategy* at State level through:

- **I. State Innovation Fund** instituted to meet the need of gap-funding for transforming new and innovative ideas into reality with their replicability at an economic cost.
- **II. HP State Innovation Award Scheme** has also been started to recognize innovative projects which were initiated & completed by an individual/departments/institute at their own and are further replicable at an economic cost & satisfy a need of general public at large.
- **I.** State Innovation Fund: created in 2013-14 with a view to fund innovative projects of various departments from this fund.

Objective of Fund:

• To encourage the government departments to try new initiatives.

• To promote excellence & creativity in the functioning of Government Departments with a view to improve the service delivery for the general public.

Innovative Ideas funded from State Innovation Fund:

During the last four years, following fourteen schemes/projects of various Departments have been funded from State Innovation Fund (SInF):

- Manimahesh Yatra Registration Project of District Administration Chamba
- Blood Bank Management Information System (BBMIS)

- Computerization (automation) of the Department of Information & Public Relation's activities
- Video Conferencing facilities in Head Office, Zonal Offices & Tribal Circles
- > Document Management System of Ration Card Forms
- Digitization of Special section of HPKV University library focused on HP
- Online Planning permissions Project by: This project of Town & Country Planning Department
- > Digitization of Himachal Pradesh Secretariat Library
- > Online Inventory Application for Medicines/Semen Straws
- Implementation of the first phase of the automation of Allotment & Administrative wing of HIMUDA
- Developing a prototype of continuous garbage collecting mechanism collecting garbage without any intervention or wastage of time
- Development of Modern State-of-the-Art Digital Forensic Facilities in Forensic Science Laboratories in HP of RFSL, Mandi
- > Setting up of video conferencing facility at RFSL, NR, Dharamshala
- Setting-up of Mini Herbal Garden & Acupressure track in Ayurvedic Health Centre, Cheog, District Shimla

II. HP State Innovation Award Scheme for recognizing Best Innovations:

HP State Innovation Award Scheme has been started from 2014-15 to provide financial incentives to the innovative ideas. Innovations which improve service delivery & bring out positive impact in the society are being recognized & rewarded at State level. Initially six sectors have been identified for awarding the best innovation practices. One best innovation of each sector is selected based on award criteria after scrutiny at Sectoral level and is further recommended to State Innovation Council (SInC) for awards at State level.

HP State Innovation Awards for 2016-17:

32 proposals of various identified sectors were received under this award scheme for 2016-17. All the proposals were further forwarded to concerned sectoral committee for scrutiny and recommending one best proposals for award under said sector. Recommendations from all sectoral committees have been received and after getting the formal approval of State Innovation Council awards for 2016-17 in four sectors will be announced shortly.

Skill Development:

The work relating to Skill Development is being coordinated by the Planning Department as Administrative Department for HPKVN in the State. During 2017-18, following activities have been taken for implementation of Skill Development activities in the State:

- All necessary documents/conditions mandatory for negotiation i.e. project readiness conditions related to H.P. Skill Development Project amounting to Rs. 640 crore were completed and communicated to ADB and DEA, GoI. Govt. of India has signed a USD 80 million (INR 512 crore) loan with ADB on 28th March, 2018 in New Delhi to help improve the Skills of youth in the State and modernizing Technical & Vocation Education and Training Institute (TVET). This project of estimated cost of USD 100 million (INR 640 crore) has duration till the end of 2022.The State Government will get 90% of the loan component as grant from GoI. This project will be implemented by HP Kaushal Vikas Nigam established under the administrative control of Planning Department.
- HPKVN is mandated to implement the ADB assisted H.P. Skill Development Project and State component of Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojna under which 25% of the total training numbers of PMKVY 2.0 for HP have been allocated to HPKVN under Centrally Sponsored State Managed (CSSM)Scheme.
- Time to time meetings with consultants of Asian Development Bank and line departments were organized to speed up the implementation of Skill Development Project at the level of Chief Secretary/Administrative Secretary (Planning) /MD, HPKVN during the year 2017-18.
- For the smooth functioning of Himachal Pradesh Kaushal Vikas Nigam, staff on re-employment/secondment basis is being recruited on the need basis.
- Various technical and financial aspects in respect of Nigam as well as of ADB assisted project have been approved/cleared by financial & technical committees constituted at State level to approve such matters.

IX. NABARD-RIDF DIVISION:

2. The State Government is availing NABARD loans under RIDF programme for a wide range of activities. Some of the activities on which the State Government has got projects approved or has posed projects to NABARD for funding are :-

- (i) Construction of Roads and Bridges.
- (ii) Construction of Irrigation schemes.
- (iii) Construction of Flood Protection Works.
- (iv) Construction of Primary School Buildings (under SBVSY).
- (v) Construction of Drinking Water Supply Schemes.
 - (vi) Establishment of Citizen Information Centres.
- (vii) E-Governance.
- (viii) Construction of Science Laboratories in Senior Secondary Schools.
- (ix) Watershed Development Projects.
- (x) Strengthening of Animal Health Infrastructure.
- (xi) Production of cash crops through adoption of Precision Farming Practices (Poly Houses and Micro Irrigation).
- (xii) Diversification of Agriculture Through Micro Irrigation and related infrastructure.
- (xiii) Construction of CA Stores.
- 2. The NABARD has sanctioned total loan assistance of Rs. 6854 crore in favour of Himachal Pradesh upto 31st March, 2018. The tranche-wise break-up is given as under :-

(Rs. in crore)

Sr. No	Tranche No.	Duration/Phasing Period	No. of Schemes Sanctioned	NABARD Loan Sanctioned	State Contri- bution	Total Amount Sanctioned
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	RIDF-I	1995-96 To 1997-98	77	14.23	4.90	19.13
2	RIDF-II	1996-97 To 1998-99	66	52.96	6.32	59.28
3	RIDF-III	1997-98 To 1999-2000	28	51.12	5.12	56.24
4	RIDF-IV	1998-99 To 2000-01	66	87.81	3.48	91.29
5	RIDF-V	1999-2000 To 2001-02	680	110.36	6.80	117.16
6	RIDF-VI	2000-01 To 2002-03	1053	127.20	10.15	137.35
7	RIDF-VII	2001-02 To 2003-04	325	168.24	8.90	177.14
8	RIDF-VIII	2002-03 To 2004-05	237	169.29	13.80	183.09
9	RIDF-IX	2003-04 To 2005-06	182	141.70	19.35	161.05
10	RIDF-X	2004-05 To 2006-07	146	91.64	9.96	101.60
11	RIDF-XI	2005-06 То 2007-08	266	224.67	29.73	254.40
12	RIDF-XII	2006-07 To 2008-09	379	272.30	36.17	308.47
13	RIDF-XIII	2007-08 To 2010-11	359	308.06	32.55	340.61
14	RIDF-XIV	2008-09 To 2011-12	136	424.82	28.13	452.95
15	RIDF-XV	2009-10 TO 2012-13	223	454.13	36.98	491.11
16	RIDF-XVI	2010-11 TO 2013-14	186	394.53	37.16	431.69
17	RIDF-XVII	2011-12 TO 2014-15	225	423.69	41.81	465.50
18	RIDF-XVIII	2012-13 TO 2015-16	164	432.16	44.32	476.48
19	RIDF-XIX	2013-14 TO 2016-17	142	496.09	65.18	561.27
20	RIDF-XX	2014-15 TO 2017-18	161	707.61	58.89	766.50
21	RIDF-XXI	2015-16 TO 2018-19	170	644.94	60.75	705.69
22	RIDF-XXII	2016-17 TO 2019-20	125	545.54	60.20	605.74
23	RIDF-XXIII	2017-18 TO 2020-21	181	510.60	50.54	561.14
	GRAND TO	FAL (I TO XXIII)	5577	6853.69	671.19	7524.88

4. Against the above sanctioned NABARD loan assistance of Rs. 6854 crore, the State Government has received Rs. 4965 crore upto 31.03.2018 from the NABARD. Year-wise detail of reimbursement availed under RIDF Programme from 1995-96 to 2017-18 is as under:-

Year	Reimbursement Availed (Rs. in crore)
1.	<u> </u>
1995-96	1.60
1996-97	5.31
1997-98	35.44
1998-99	40.65
1999-00	56.01
2000-01	106.92
2001-02	116.44
2002-03	141.58
2003-04	142.35
2004-05	83.17
2005-06	125.09
2006-07	140.38
2007-08	200.00
2008-09	220.00
2009-10	300.00
2010-11	294.49
2011-12	305.51
2012-13	400.00
2013-14	350.00
2014-15	400.00
2015-16	500.00
2016-17	500.00
2017-18	500.00
Total	4964.94

5. Project Sanction Target & Achievement (from 2006-07 to 2017-18) :-(Rs. in crore)

			<u>(KS.</u>	in crore)
Sr. No.	Year/Tranche	Project Sanction	Achievements	% age
		Target		
1.	2006-07 (XII)	277.00	273.48	98.73
2.	2007-08 (XIII)	298.00	299.26	100.42
3.	2008-09 (XIV)	406.00	425.12	104.71
4.	2009-10 (XV)	398.00	454.50	114.20
5.	2010-11	400.00 (HPC Approved)	412.90	103.22
	(XVI)	560.00 (NABARD)		
6.	2011-12	400.00 (HPC Approved)	423.69	105.92
	(XVII)	540.00 (NABARD)		
7.	2012-13	400.00 (HPC Approved)	432.16	108.04
	(XVIII)	500.00 (NABARD)		
8.	2013-14 (XIX)	475.00	496.09	104.44
9.	2014-15 (XX)	765.00	707.61	92.50
10.	2015-16 (XXI)	514.00	644.94	125.47
11.	2016-17 (XXII)	620.00 (HPC Approved)	545.54	87.99
		545.00 (NABARD)		
12.	2017-18 (XXIII)	603.00 (HPC Approved)	510.60	102.12

500.00 (NABARD)

6. The Planning Department is the Nodal Department for processing the projects to NABARD for sanction and monitoring of the projects sanctioned under the RIDF programme.

Sr.	Name of the Meeting	Date and Place of	Under the Chairmanship
No.		meeting	
1.	2.	3.	4.
1.	47 th HPC meeting on	7 th April, 2017	Chief Secretary to the
	RIDF.	(Shimla)	GoHP.
2.	48 th HPC meeting on	30 th November, 2017	Chief Secretary to the
	RIDF.	(Shimla)	GoHP.
3.	MLAs meetings	12 th and 13 th February,	Hon'ble Chief Minister,
		2018	Himachal Pradesh.
		(Shimla)	

7. Details of RIDF review meetings held during the year 2017-18:

In addition to above mentioned meetings, bi-monthly review meetings were held in the regional office, NABARD Shimla. The representatives of implementing departments, NABARD and Planning Department attended these meetings. Scheme wise physical and financial progress of each department was reviewed and monitored in these meetings and implementing departments were advised to take corrective actions where required. Review meetings are also held at the level of concerned Administrative Secretary and HOD and at District level by the Deputy Commissioners.

X. 20-POINT PROGRAMME DIVISION:

The Twenty Point Programme-2006 (TPP-2006) is being implemented in the State as per the guidelines issued by Ministry of Statistics and Programme Implementation, Government of India, from time to time.

The Twenty Point Programme is a monitoring mechanism which covers various socio-economic aspects like poverty eradication, employment, education, housing, health, agriculture, land reforms, irrigation, drinking water, protection and empowerment of weaker sections, consumer protection, environment, e-governance, etc.

The Ministry of Statistics & Programme Implementation (MOSPI) monitors the Programme / schemes covered under TPP-2006 at National level on the basis of performance report received from State Government and Central Nodal Ministries.

The restructured TPP-2006 consists of 20 points and 65 monitorable items which varies from State to State and from year to year. The performance of the States in the implementation of Twenty Point Programme-2006 was being ranked by the Government of India till 2009-10 and the ranking has been stopped thereafter.

Each monitorable item is categorized in the category of "Very Good", "Good" and "Poor" on the basis of quarterly / yearly performance as follows:-

Sr. No.	Percentage achievement	Category
1.	2.	3.
1.	90% or more	Very Good
2.	80% to 90%	Good
3.	Below 80%	Poor

Planning Department, Himachal Pradesh has been declared as a nodal department for coordination, review, monitoring and reporting of quarterly / annual progress reports of Twenty Point Programme-2006 (TPP-2006) since 2007.

In order to inculcate the spirit of competition among the districts for the effective implementation of TPP-2006, the State Government is ranking the performance of each district. Based on the ranking, an award of Rs. 50.00 lakh, Rs. 30.00 lakh and Rs. 20.00 lakh respectively for first, second and third ranked district(s) is being given as an incentive. The incentive money is used for the various developmental works of the concerned district(s).

The State Government gives top priority for the effective implementation and achievement of TPP targets. The performance of TPP is regularly monitored at State, District and below district levels.

The District Planning, Development and 20 Point Programme Review Committees headed by the Chief Minister/Minister/MLA of all the districts review the progress of TPP in their quarterly review meetings. Deputy Commissioners / Additional Deputy Commissioners / Additional District Magistrates / District Planning Officers also review and monitor independently the progress of TPP with the concerned district level officers of the districts in the various meetings.

At the State level, the progress of TPP is reviewed in the various meetings held under the Chairmanship of Hon'ble Chief Minister, Chief Secretary, Additional Chief Secretary (Planning) and Adviser (Planning), HP.

All correspondence / works related to TPP and notification of State, District and Sub-Divisional level Planning, Development and Twenty Point Programme Review Committees were discharged by the TPP Division during the year 2017-18.

XI. RAILWAY DIVISION:

Planning Department is functioning as administrative department for railway works being executed in the State. Railway Division is carrying out all jobs related to Railway activities such as land acquisition, co-ordination, monitoring and review of rail projects, etc. During the year 2017-18, review and co-ordination meetings with various Northern Railway authorities, RVNL, Government of India, concerned department of State Government, etc. were held to sort out issues related to implementation of Railway Projects in Himachal Pradesh. Follow up actions of these meetings were taken during the year. Land Acquisition / construction works of mainly three following rail lines have been started. These lines are passing through Himachal Pradesh. The brief status of three rail lines are as follows:-

1. Bhanupali-Bilaspur-Beri Broad Gauge (BG) Rail Line (63.1Kms).

The execution of Bhanupalli-Bilaspur-Beri new BG rail line is being done by Rail Vikas Nigam Limited (RVNL). The State Government has agreed the sharing pattern as per the CCEA decision. As per this decision State Government will share 25% cost of the project and land cost beyond Rs. 70 crore will be borne fully by the State Government. 25% cost will be shared by Ministry of Railways and 50% by Ministry of Finance, GoI. The cost of this project has been revised from Rs. 1046 crore to Rs. 2967 crore. Government has notified negotiation committee for the out-right purchase of private land through negotiation from the private land owners for the area falling in Himachal Pradesh and negotiation process has already been started. During the year 2017-18, State Government has accorded approval for the out right purchase of land measuring 315 bighas amounting to Rs. 88.01 crore in ten villages in district Bilaspur for first 20 Km stretch and released its state share amounting to Rs. 86.02 crore to Railway/ RVNL . State Government has released its State share amounting to Rs. 108.02 crore upto 2017-18 to Railway/ RVNL. The clearance under FCA is under process.

2. Chandigarh-Baddi Rail Line (33.23Km).

Chandigarh-Baddi BG rail line (33.23 Km) is being executed by Northern Railway and will pass through the area of Haryana and Himachal Pradesh. The estimated cost of this rail line is Rs. 1672.70 crore. The funding

pattern of this rail line is 50:50 (State: Railway). The total land requirement for this project is 80 hectare. Out of this, 27.5 hectare is in Himachal Pradesh and 52.5 hectare in Haryana. State Government has notified negotiation committee for acquiring private land for this rail line to avoid delay, litigation and cost escalation. During the year 2017-18, DC Solan has completed the negotiation process for 9 villages of Tehsil Baddi. The requirement of 366.08 Bigha (345.13 Bigha private land and 20.15 Bigha Government land) through negotiation has been worked out in Himachal area and sale price of Rs. 355.34 crore approximately has been estimated by the DC Solan. Deputy Commissioner Solan has been requested in the review meeting held on 02/06/2017 under the Chairmanship of Chief Secretary to re-negotiate land rates as per approved policy of the State Government. Railway has released an amount of Rs. 175.68 crore and State Government has released an amount of Rs. 47 crore so far. Therefore, an amount of Rs. 222.68 crore (175.68 crore+47 crore) is available with LAO Rail Baddi for outright purchase of private land from private land owners. Haryana Government has also been requested to expedite the land acquisition process for the area falling in Haryana. Being liner project and originating from Haryana, railway has been requested to acquire first the land in Haryana and utilize the state share released by State Government for the acquisition of land in Haryana.

3. Nangal Talwara Broad Gauge Rail Line (83.74 Kms).

Total length of this rail line is 83.74 Km and 62 Km track falls in Himachal Pradesh, out of which 44 km has been opened for traffic upto Amb-Andaura. Completion cost of this project has been revised from Rs. 1,200 crore to 2100.00 crore. During the year 2017-18, land of five villages measuring 14-50-77 hectare has been acquired through negotiation and handedover to Railway for the construction of this rail line. The negotiation for remaining one village has been completed and land will shortly be purchased and handed over to railway. This project will provide alternate route to J&K on its completion. PMO has accorded priority for this project and is being monitored through PRAGATI.

In addition to this, State Government has taken up the issue with the Ministry of Railways for the contraction of Bhaupalli-Bilaspur-Beri Rail Line with 100% Central Assistance because GOI has decided to construct this Rail line upto Leh-Ladakh due to national security point of view.

XII. EVALUATION DIVISION :-

Evaluation Division of Planning Department is entrusted with the evaluation work of different plan schemes and projects. The objective of the evaluation is to make assessment of the implementation process, identify bottlenecks and gaps in implementation of the schemes and programmes and based on these findings, suggest remedial measures to make implementation process more effective. A Technical Advisory Committee has been constituted at State level to consider evaluation proposals of different implementing agencies.

XIII. MLA PRIORITY DIVISION:

MLA Division has performed following works during the financial year 2017-18:-

- 1. The minutes of MLAs meetings held during 2017-18 were issued to all the departments / organizations for taking suitable follow-up actions. The action taken report of these meetings was obtained from the concerned departments. The ATR was consolidated and circulated to all the concerned MLAs for their information.
- 2. The MLAs meetings to determine the MLAs priorities for Annual Budget 2018-19 were convened under the Chairmanship of Hon'ble Chief Minister HP on 12th & 13th February, 2018. The decision of Mid term review of the MLAs Priority meetings has also been taken in the meeting.
- 3. As per the approved policy of the State Government, Hon'ble MLAs prioritize two schemes each under three sectors i.e. Roads & Bridges, Minor Irrigation and Rural Drinking Water Supply for "Really New Schemes (RNS)" and "Ongoing Schemes". Therefore, six schemes under RNS and six Ongoing Schemes are rioritized by each MLA for every financial year. However, Hon'ble MLAs are at liberty to change inter sectoral priorities with in the above mentioned three sectors i.e. he may give six priorities in one or two or three sectors. Accordingly, the MLAs priorities were collected, consolidated and finally printed as "नव व्यय अनुसूची के परिशिष्ट (योजना) माननीय विधायकों द्वारा निर्दिष्ट प्राथमिकताएं वर्ष 2018-19". It is one of the Documents for 2018-19 Budget.
- 4. The works related to MLAs priority are of varied nature. Various proposals for substitution of schemes were received from the various Hon'ble MLAs. Actions on the substitution proposals were taken as per approved policy. Implementing departments were asked to take the follow-up action accordingly. Concerned MLAs were also informed about the decisions taken in each substitution case.

XIV. COMPUTERISATION DIVISION:

Computerisation Division has been constituted for fulfilling the computer needs of Planning Department. All the reports / publications published by the Planning Department are processed on computer and later-on get printed on off-set in Printing Press. This division has been catering the needs of software development for the department and has developed the following softwares for different Divisions of Planning Department :-

- 1. Modifications/Updation of RIDF Software.
- 2. Modifications/Updation of MLA Priority Schemes Software.
- 3. Development of State Innovation Council Software.
- 4. Document of Draft Annual Plan 2017-18.
- 5. esalary Payroll/ADA/Pay Scale Arrear of Department.
- 6. MLA Priority Schemes Data Entry.
- 7. Backward Area Sub-Plan, District/SOE-wise allocation of budget outlays.
- 8. Evaluation Study Reports on various Plan Programmes/Schemes.
- 9. Modification/Updation of Income Tax Statements Software.
- 10. Computerisation of Hon'ble MLAs Priority Schemes for the year 2017-2018.
- 11. Power Point Presentation on various meetings in the department.
- 12. Twenty Point Programme Quarterly Document.
- 13. Development of Department Web site and site maintenance/updation.
- 14. Assistance to all Divisions of Department about hardware and software application.
- 15. e-service book of all employee of department
- 16. eVitran Himkosh working
- 17. MIS ACA/SPA on Central Assistance (Niti Ayog).
- 18. MPLADs Software Monitoring.
- 19. Decentralized MIS Software Monitoring.
- 20. E-Vidhan work / Monitoring
- 21. Development of application for State Finance Commission.

3.3. DISTRICT OFFICES :

District Planning Cells have been created in all the ten Non-Tribal districts of the State. These offices are functioning under the control of the concerned Deputy Commissioners. The Additional Deputy Commissioner / Additional District Magistrate, as the case may be, has been declared as Chief Planning Officer. The District Planning Cells are headed by the District Planning Officers.

4. INFORMATION UNDER RTI ACT-2005:

Information related to the Section 4(1)(b) of the Right to Information Act.2005.

	Particulars of	Please see heading :
(i)	organization,	1. BACKGROUND AND INTRODUCTION
	functions and duties.	and
	functions and duties.	3. ORGANISATIONAL STRUCTURE " of the
		report
(;;)	Powers and duties of	Adviser (Planning): Overall administrative and
(ii)	its Officers and Employees.	Adviser (Flammig): Overall administrative and financial control of the Department. He helps Addl. Chief Secretary (Planning) to the GoHP in discharging various responsibilities to achieve organizational goals. Adviser (Planning) works under the overall control of Addl. Chief Secretary (Planning) to the GoHP.
		Joint Director (Planning): He has been declared as Head of Office of Planning Department. He assisted Adviser (Planning) in dischargining various responsibilities and accomplished tasks related to formulation, implementation and liaisoining with the Niti Ayog, Government of India assigned to him from time to time.
		Deputy Directors : The Deputy Directors headed various Divisions such as Plan Formulation, Plan Implementation, Project Formulation, Evaluation, Employment, Computerization, Administration, Regional and District Planning, Backward Area Sub-Plan, Twenty Point Programme, Railways, MLA Priorities, RIDF and RFD. They assisted the Adviser (Planning) in discharging various responsibilities to achieve organizational goals.
		<u>Research Officers</u>: The Research Officers assist the Deputy Directors and control the staff deployed in various Divisions. All the files are routed to Deputy Directors through Research Officers.

	District Planning Officers: The staff provided to
	the District Planning Officers and duties performed by them are given under heading "3.3.
]	DISTRICT OFFICES".
	Assistant Research Officers: Deal with the various works/proposals/correspondence and submit the same with their comments to the Research Officers for taking decisions at the higher level.
	Statistical Assistants: Deal with the various works / proposals / correspondence and submit the same with their comments to the Research Officers for taking decisions at the Higher level. Computer: They perform their duties and functions as assigned to them by the Research Officers. System Analyst : The System Analyst is the incharge of the Computer Cell. He develops software as per the requirement of the department and all other computer related jobs.
	Programmer:- He helps System Analyst to develop software and other computer related works
	Program Planning Officer (PPOs) : He helps in developing software as per the requirement of the department and all other computer related jobs.
[<u>Computer Operator</u> : He assists the Programmer/PPOs in software development, data feeding and render the computer related technical help and guidance to the department.
	Superintendent GrI: All the files of Administration Division are put-up to Superintendent Gr-I through Superintendent Gr-II with the administrative proposals for taking decisions at higher level
	Superintendent GrII: All the Senior / Junior Assistants, clerks and JOAs of Administration Division submit the files through Superintendent GrII. He puts up the files to Superintendent GrI/

DDO / Joint Director (Administration) for final
decision at appropriate level.
Senior Assistants / Junior Assistants: Deal with administrative, personnel, budget, organizational, etc matters and also works assigned by Superintendent / DDO / Higher Officers. Clerks : Perform duties and functions as assigned to them by HOD/Superintendent Gr-I/DDO/Spud. GrII including the work of diary dispatch of the Department. Junior Office Assistant (IT) (JOAs) : Perform duties and functions as assigned to them by HOD/Superintendent Gr-I/DDO/Spud. GrII including the work of diary dispatch of the Department.
Private Secretary/Personal Assistant / Sr. Scale Stenographer / Jr. Scale Stenographers: Perform duties with Head of Department, Joint Directors / Deputy Directors, such as dictation / typing work / attend to the telephone calls, handle the files / records of confidential or secret nature and any other work assigned by the officer.
Steno Typists : Perform duties of dictation and typing work with the officers. Ten posts of Steno-Typists are sanctioned in the ten Non-Tribal Districts and they performed their duties with the District Planning Officers in the Districts.
Duplicating Machine Operator: To operate the Photostate machines of the Department.
<u>Peons</u>: They perform the duties as per office manual.
<u>Chowkidar</u> : Keeps watch and ward during and after office hours of all the office rooms of the department. He is also responsible for all precautionary measures relating to prevention of fire and damage to Government property.
Sweeper: To sweep, clean and mop the rooms,

		corridors, verandahs. Clean lavatories, urinals, washbasins, etc daily and properly. To collect and dispose off all waste in the office.			
(iii)	Procedure followed in the decision making process including channels of supervisions and accountability.	Adviser (Planning) exercises all the powers of Head of Department. All the officers of the department assist him in taking decisions and disposing of the normal work of the department. The HOD assigns the duties to the various officers. The files move to the Adviser (Planning) through the Joint Director/ Divisional Heads for final decision/ disposal. Divisional Heads are responsible and accountable for supervision and timely disposal of work in respect of their division. (s)			
(iv)	Norms set by it for the discharge of its functions.	Different functions of the Department at various levels are performed in accordance with the rules / policies and delegation of powers made by the Government / HOD from time to time.			
(v)	Rules, Regulations, instructions, manuals and records, held by it or under its control or used by its employees for discharging its functions.	CCS and CCA Rules HPFR Rules FR & SR Rules			

		 Backward Area Sub Plan (BASP) Rural Infrastructure Development Fund (RIDF) Externally Aided Projects (EAPs) District Innovative Fund (DIF) Guidelines/instructions issued by the Government from time to time are uploaded on the website of Planning Department can be used by officers and officials for discharging their functions and duties. The Administrative report containing the programmes alongwith organizational structure detail is uploaded on the website of Planning Department.
(vi)	Statement of the Categories of the documents that are held by it or under its control.	Five year Plans / Annual Plans, Evaluation studies on different Plan Programmes / schemes, Fact book on Man Power & Employment, Mid Term Review of Five Year Plans. MLA Priorities Schemes document, Twenty Point Programme Quarterly District Ranking Analysis Reports and Annual Administrative Report.
(vii)	any arrangement that exists for consultation with, or representation by, the members of the	The State Government has constituted HP State Planning Board, State Level Planning Development Twenty Point Programme Review Committee at State level and District Planning Development and Twenty Point Programme Review Committee at District level as well as Sub- Divisional Level Planning Development, Twenty Point Programme Review and Public Grievance Committees at Sub Divisional level. Public representatives have been nominated by the State Government in these committees. Nominated public representatives give their opinion / suggestions regarding policy formulation and implementation at State, District and Sub Divisional level. Apart from this, MLAs meetings to identify the State Annual Plan priorities are also held. Hon'ble MLAs give their valuable suggestions regarding formulation of policies, programmes and implementation.
(viii)	A statement of the boards, councils,	The following Boards / Committees have been constituted in the department:-

	committees and other bodies consisting of two or more persons constituted as its part or for the purpose of its advice, and as to whether meetings of those boards, councils, committees and other bodies are open to the public, or the minutes of such meetings are accessible for public.	 Himachal Pradesh State Planning Board. State Level Planning, Development & Twenty Point Program Review Committee. District Level Planning Development & Twenty Point Program Review Committees (DPDCs) in all Districts. Sub-Divisional Level Planning Development, Twenty Point Programme Review & Public Grievance Committees, State level Employment Generation & Resource Mobilization Committee. Meetings of these committees/Boards are not open for public. However, public can have access to the minutes by formally applying for it.
(ix)	A directory of its officers and employees;	Detail given under heading "2. STAFF POSITION OF PLANNING DEPARTMENT".
(x)	The monthly remuneration received by each of its officers and employees, including the system of compensation as provided in its regulations;	The Officers and the employees appointed in the Department get the Pay Band and Grade Pay as granted by the Government from time to time.
(xi)	The budget allocated to each of its agency, indicating the particulars of all plans, proposed expenditures and reports on disbursements made;	The Planning Department allocates funds on quarterly basis to the implementing departments and Deputy Commissioners for plan schemes and other various decentralized planning programmes according to the guidelines, formula and instructions issued by State Government from time to time. The division-wise details of goals, objectives, programmes, allocation, expenditure, etc. have been given in the write-up of the each divisions.
(xii)	The manner of execution of subsidy	There is no subsidy programme being executed directly by the department.

	programmes,	
	including the	
	amounts allocated	
	and the details of	
	beneficiaries of such	
	programmes;	
(xiii)	Particulars of	Not applicable.
	recipients of	Only Plan budget authorizations to incur an
	concessions, permits	expenditure are granted by the Planning
	or authorization	Department to all the implementing departments
	granted by it,	(concerned with Plan) and Deputy Commissioners.
(xiv)	Details in respect of	The Department has developed its own Website
	the information,	and the information relating to the various
	available to or held	activities of the Department is available on the
	by it, reduced in an	website http://hp_planning.nic.in.
	electronic form;	
(xv)	The particulars of	The Public can have information from the district
	facilities available to	offices of Planning Department or its Headquarters
	citizens for	i.e. Yojna Bhawan, HP. Sectt. Shimla-2 from
	obtaining	10.00 A.M to 5.00 P.M in 6 days in a week except
	information,	· · ·
	,	on public holidays.
	0	
	working hours of a	
	library or reading	
	room, if maintained	
	for public use.	
(xvi)	The names,	Information is given below.
	designations and	
	other particulars of	
	the Public	
	Information	
	Officers;	
(xvii	Such other	Nil
)	information as may	
	be prescribed; and	
	thereafter update	
	these publications	
	every year.	

Sl. N o	Name of Authority i.e. APIO / PIO / Appellate Authority	Designation	l	Address Telephone	with No.	under for wh	ich he will information
1.	2.	3.		4	•	<u>5.</u>	
(A)	SECRETARIAT	LEVEL			-		
1.	Public Infromation Officer	(Under/ Dy. Joint Secy. (Plg.) to the Govt. of H.P.		H.P. Sectt.	Shimla-2 at Secre		g Department tariat level.
2.	Appellate Authority	A.C.S.(Planning) to the Govt. H.P.		Armsdale H.P. Sectt. Tel. No. 2	Shimla-2.	Planning Department at Secretariat level.	
Notification No. Plg.A(3)4/2005 dated 27-06-2009 under section 5 and 19 of "Right to Information, Act 2005" (Act No. 22 of 2005).							
(B) S	STATE LEVEL		1		I		Remarks
1.	Public Infromation Officer	Deputy Director			Planning Department at State level.		Amended vide Planning Department Office Order No. PLG (B) 3-2/2009 dt. 29/6/2016
2.	Assistant Public Information Officer	Supdt. GrII			at State level. via De Of No 3-2		Amended vide Planning Department Office Order No. PLG (B) 3-2/2009 dt. 25/6/2016
3.	Dr. Basu Sood Appellate Authority	Adviser (Planning)	Yojna H.P. Shim Tel.N	Sectt.	Planning De at State lev		
	fication No. PLG.A(3)		2-12-20	005 and dated	16-04-2010	under sect	ion 5 and 19 of

Particulars of the APIOs, PIOs and Appellate Authority in Planning Department, HP.

Sr. No	Name of Authority i.e. APIO / PIO / Appelate Authority	Design- ation	Address with Telephone No.	Jurisdiction / Unit under his control for which he will render information to applicants			
1.	2.	3.	4.	5.			
(C) I	DISTRICT LEVEL						
1.	Sh. Tara Chand Chauhan, Public Information Officer	District Planning Officer	District Planning Cell, DC Office Shimla Telephone No. 0177-2808399	Concerned District.			
2.	Sh. Pradeep Kumar Purta, Public Information Officer	District Planning Officer	District Planning Cell, DC Office Solan Telephone No. 01792- 220697	Concerned District.			
3.	Sh. Anuj Kumar, Public Information Officer	District Planning Officer	District Planning Cell, DC Office Sirmour at Nahan Telephone No. 01702-223008	Concerned District.			
4.	Sh. Gautam Chand Public Information Officer	District Planning Officer	District Planning Cell, DC Office Chamba. Telephone No. 01975-226057	Concerned District.			
5.	Sh. Ravinder Katoch , Public Information Officer	District Planning Officer	District Planning Cell, DC Office Kangra at Dharamshala Telephone No. 01892-223316	Concerned District.			
6.	Sh. Kuldeep Singh Minhas Public Information Officer	District Planning Officer	District Planning Cell, DC Office Mandi. Telephone No. 01905-225212	Concerned District.			
7.	Sh. Vinod Kumar Public Information Officer	District Planning Officer	District Planning Cell, DC Office Una Telephone No. 01899-226166	Concerned District.			
8.	Smt. Mukta Thakur, Public Information Officer	District Planning Officer	District Planning Cell, DC Office Bilaspur Telephone No. 01978-222668	Concerned District.			
9.	Sh. Tej Singh Thakur, Public Information Officer	District Planning Officer	District Planning Cell, DC Office, Kullu Telephone No. 01902-222873	Concerned District.			
10	Sh. Sanjay Parmar Public Information Officer	District Planning Officer	District Planning Cell, DC Office Hamirpur Telephone No. 01972-222702	Concerned District.			
Noti	Notification No. Plg.A(3)4/2005 dated 22-12-2005 for implementation of "Right to Information, Act 2005".						

Ravi@gov.in